

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

EIGHTH
ANNUAL REPORT
1979-80




RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

110, JODHPUR PARK
CALCUTTA-700068

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

EIGHTH
ANNUAL REPORT
1979-80



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

110, JODHPUR PARK
CALCUTTA-700068

OCTOBER, 1980

© RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
110, Jodhpur Park
Calcutta-700068

Published by Dr. B. P. Barua, Member-Secretary, Raja Rammohun Roy Library Foundation, 110, Jodhpur Park, Calcutta-700068 and Printed at PRESSCO, 1/27, Prince Golam Mohammad Road, Calcutta-700026, Phone : 46-4541.

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
ANNUAL REPORT
1979-80

CONTENTS

		Pages
I	Introductory	1
II	Location	1
III	Composition of the Foundation	1-2
IV	Administrative Committee	2
V	State Library Planning Committees	3
VI	Staff & Office	3-4
VII.	Finance	4-5
VIII	Rules & Regulations	5
IX	Assistance Programmes	5-13
X	Other Activities	13-14
XI	Tours & Contacts	14-15
XII	Achievements	15-16

APPENDICES

I	List of Members of the Foundation	19-21
II	List of Members of the Administrative Committee	22-23
III	List of Conveners of State Library Planning Committees	24-28
IV	Organisation Chart	29

	Pages
V Statement of audited accounts of the Foundation for the year 1979-80	30-41
VI List of Libraries assisted under the scheme of "Assistance towards binding and preservation of rare books and manuscripts" during 1979-80	42-46
VII Recommendations of the 2nd S.L.P.C. Conveners' Conference	47-49
VIII Statement showing the number of libraries covered under various programmes during 1979-80	50-51
IX Statement showing the amount of contribution received from and amount of assistance rendered to various States and Union Territories during 1979-80	52-53
X Statement showing the number of libraries covered at different levels from 1972-73 to 1979-80	54-55
XI Chart showing number of libraries assisted & amount of assistance rendered during the period from 1972-73 to 1979-80	56
XII Chart showing expenditure during the year 1979-80	57

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

Eighth Annual Report

(1979-80)

I. INTRODUCTORY

The Raja Rammohun Roy Library Foundation was set up in May 1972 as a part of the celebration of the bi-centenary of Raja Rammohun Roy's birth. It was constituted as an autonomous organisation and registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961. The Foundation is fully financed by the Department of Culture, Ministry of Education and Culture, Government of India. The objectives for which the Foundation was established are given in detail in its Memorandum of Association. The basic objective of the Foundation is to promote and support library movement in the country and to develop reading habit among the people, particularly in the non-metropolitan areas. The Foundation works in co-operation with the library authorities of the State Governments and Union Territory Administrations.

II. LOCATION

The office of the Foundation is located in a rented flat at 110 Jodhpur Park, Calcutta-700068. The accommodation is not adequate to meet the growing needs of the office. Efforts are being made to find a suitable and permanent habitat for the Foundation.

III. COMPOSITION OF THE FOUNDATION

The Foundation is composed of 22 members including —the Union Minister of Education or his nominee as Chairman;

—Secretary, Government of India, Department of Culture or his nominee;

—13 persons nominated by the Government of India, 4 as eminent librarians and the others as educationists;

—representatives of the Indian Library Association, Sahitya Academy and National Book Trust, India;

—3 persons nominated by the Government of India to represent the Department of Education, the Department of Social Welfare and the Ministry of Finance;

—the Member-Secretary.

According to rules the term of office of the Foundation shall be three years and shall be deemed to commence from the date on which it holds its first meeting. The Foundation was reconstituted in September 1978. But the first meeting of the reconstituted body was held on 6 November 1978. During the year the Foundation held two meetings: 4th Ordinary General Meeting on June 12, 1979 and the 6th Annual General Meeting on October 12, 1979.

(List of members of the Foundation may be seen in Appendix I)

IV. ADMINISTRATIVE COMMITTEE

The Foundation is assisted in its functioning by an Administrative Committee. It consists of eleven members including the ex-officio members i. e. Chairman, Financial Adviser, Representative of the Department of Culture and Member-Secretary. The Committee was reconstituted by the Foundation at its 6th Annual General Meeting held on 12.10.1979. The Administrative Committee looks after the financial and administrative affairs of the Foundation. It held two meetings during the year, one on June 12, 1979 and the other on October 12, 1979.

(List of members of Administrative Committee may be seen in Appendix II)

V. STATE LIBRARY PLANNING COMMITTEES

State Library Planning Committee is the principal agency through which the Foundation collaborates with the State and Union Territory Governments. The Committee is expected not only to plan the expansion and development of library services in the State but also to supervise the implementation of various programmes of assistance adopted by the Foundation. It is also expected to serve as a co-ordinating body of several departments engaged in the promotion of library services at various levels.

Each State Library Planning Committee consists of a small group of members nominated by the State/Union Territory Government with the Member-Secretary of the Foundation as an Ex-officio Member. The Officer-in-Charge of Library Services or the State Librarian is the Convener of this Committee.

The State Library Planning Committees have been set up in most of the States and Union Territories with the exception of the following :

1. Madhya Pradesh, 2. Rajasthan, 3. Haryana,
4. Jammu & Kashmir, 5. Arunachal Pradesh,
6. Delhi, 7. Pondicherry, 8. Dadra & Nagar Haveli and
9. Lakshadweep.

In these States the Officers-in-Charge of Library Services are deemed as Convener.

(A list of Conveners of State Library Planning Committees may be seen in Appendix III)

VI. STAFF AND OFFICE

Chairman : Prof. Bhabatosh Datta was Chairman of the Foundation till November 7, 1979. On his resignation, the Minister of Education and Culture, Government of India

nominated Prof. R. K. Das Gupta as Chairman of the Foundation for a period of three years. Prof. Das Gupta took over charge with effect from November 8, 1979.

Member-Secretary : Dr. B. P. Barua who had been working as Acting Member-Secretary since October 1, 1977 was appointed to the post on regular basis on July 6, 1979 with the approval of the Government of India.

Others : On the reversion of Shri R. Guptasarma to his parent department, Shri S. K. Basu, Audit Officer, Railway Audit, Eastern Railway, joined the post of Executive Officer on deputation on September 1, 1979. Dr. Pandey S. K. Sharma, joined as Field Officer with effect from October 25, 1979. Three new posts : Assistant Secretary, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, were created during the year. The staff strength including a part-time Sweeper was 24.

(An Organisation Chart of the Foundation may be seen in Appendix IV)

VII. FINANCE

The Foundation is fully financed by the Government of India. Grants for maintenance of staff and part of office expenses are given under Non-Plan and grants for developmental activities are sanctioned from Plan funds. During the year the Foundation received a total grant of Rs. 23.55 lakhs (Rs. 3.55 lakhs under Non-Plan and Rs. 20 lakhs under Plan) from the Government of India. In addition, the Foundation also receives contributions from the State Government and Union Territory Administrations. The contributions are paid in order to receive matching assistance from the Foundation for the development of library services in the respective States and Union Territories. Last year the Foundation obtained a record contribution of Rs. 19.08 lakhs from various States and Union Territories.

(Statement of accounts duly audited and certified by the Director of Audit, Central, Calcutta for 1979-80 may be seen in Appendix V)

VIII. RULES AND REGULATIONS

The constitution of the Foundation is embodied in its Memorandum of Association and Rules. Delegation of powers and the terms and conditions of the service of the employees are regulated by Service Regulations. Contributory Provident Fund scheme was introduced in 1975. Last year the Foundation adopted Gratuity Rules which are awaiting approval by the Government. Matters that are not covered by the above rules and regulations are to be decided by the Administrative Committee and the Foundation. During 1979-80 the Administrative Committee adopted rules for the scheme of assistance towards storage of books.

IX. ASSISTANCE PROGRAMMES

In the light of the recommendations of the Evaluation Committee the Foundation adopted the following schemes of assistance for implementation :

- (1) Assistance towards building up of adequate stock of books and reading and visual materials.
- (2) Assistance towards development of rural book deposit centres and mobile library services.
- (3) Assistance towards binding and preservation of out-of-print and rare books and journals and of rare manuscripts.
- (4) Assistance towards the organisation of library workshops, seminars and book exhibitions.
- (5) Assistance towards storage of books.

1. Assistance towards building up of adequate stock of books and reading and visual materials :

The quality of a library depends on the size of its collection and the number of readers it serves. A library grows when it replenishes its stock from time to time. But with the meagre funds available and with the increasing cost of books the libraries are finding it difficult to acquire enough books to cater to the needs of their growing readership. Except in a few States, whatever funds are available from different sources are spent up primarily for the maintenance of staff. The Foundation, therefore, decided to continue this major programme towards strengthening the book-stock of libraries.

The programme has been sub-divided into three parts keeping in view the organisational pattern of libraries and the level of clientele they serve : (a) Assistance to State and District libraries (b) Assistance to town and rural libraries (c) Assistance to centrally sponsored libraries.

State Library Planning Committees are responsible for the preparation of list of libraries and list of books for (a) and (b) categories referred to above. In selecting the list of books the Foundation has issued a simple guideline that 25% of the books should be selected from the category of children's literature and literature for neo-literates ; they are, however, free to set their own norms according to local needs and circumstances. State authorities are also requested to select a small percentage of books in languages other than the main regional language of the State in the interest of national integration or for the benefit of linguistic minorities. The Foundation approves the lists keeping in view the funds available for each State.

Once the lists are approved, the Foundation requests the State authorities to purchase and distribute the books.

Some States viz. Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, Gujarat, Tripura and Mizoram have agreed to assume the responsibility of purchase and distribution of books. Others are reluctant to do so on the ground that they do not have adequate machinery for placing orders and checking the bills of suppliers. The Foundation is doing the job for these States and Territories. Payment is released on receipt of copies of orders and certified bills from the Conveners in respect of the former group of States. When the Foundation places orders 75% payment is made to the publishers/book-sellers on receipt of proof of despatch and the balance, on receipt of acknowledgements from the recipient libraries.

Apart from the books selected by the respective State Library Planning Committee, the Administrative Committee of the Foundation centrally selects a small number of useful books, mainly in English, for distribution to the State and District Libraries of the country. As regards centrally sponsored libraries, book selection is done by the authorities of the respective libraries. In both these cases, viz assistance to centrally sponsored libraries and assistance to State and District libraries by means of central selection of books, the Foundation is responsible for the supply of books.

(a) *Assistance to the State Central Libraries and District Libraries :*

All the States except Sikkim and Lakshadweep have set up State Central Libraries. Delhi is covered by Delhi Public Library. The State Central Library of Tamil Nadu i. e. Connemara Public Library gets books under the Delivery of Books Act. There are also Regional Libraries in some of the States viz. Andhra Pradesh, Maharashtra, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan. District Libraries have been established in most of the districts. Some of the state central Libraries and Regional Libraries also function as District Libraries for the respective districts in which they are located. State Central Libraries and Regional Libraries are usually

Government libraries. However, Gujarat Vidyapeeth in Gujarat, Sinha Library in Bihar and Maulana Azad Central Library in Madhya Pradesh are notable exceptions. Similarly, some of the District Libraries are Government Libraries and some are aided. In some States Sub-Divisional Libraries are treated at par with District Libraries for receiving assistance. During the year the Foundation has given assistance to 27 State Central Libraries and 382 District Libraries. Books worth Rs. 3.95 lakhs were supplied to them out of which the share of assistance through Central selection of books is Rs. .57 lakhs.

(b) *Assistance to Town and Rural Libraries*

The organisational pattern of the libraries below the district level is not uniform. They do not always conform to administrative units. Generally speaking, in the South they are called Branch libraries, in the West Taluka libraries, in the North Tehsil libraries and in the East sub-divisional libraries. Further below we have Block, Municipal, Town and Rural libraries. Most of these libraries are private libraries run by voluntary organisations, registered or unregistered. For the purpose of giving grants the libraries are sometimes classified into various groups. Since the aim of the Foundation is to take library service to small towns and villages, great stress has been laid upon assistance to this group of libraries. During the year the Foundation covered 5137 town and rural libraries and books valued at Rs. 26.22 lakhs were supplied to them.

(c) *Assistance to centrally sponsored libraries*

Nehru Yuvak Kendras set up by the Department of Education/Youth Services, Jawahar Bal Bhavans ponsored by the Balbhavan Society of India and Aurobindo Bal Kendras established by the Department of Social Welfare in big cities centrally sponsored libraries which receive assistance directly from the Foundation. Assistance under the scheme can also be rendered to some reputed voluntary organisations recognised

or recommended by the Government of India. During the period the Foundation rendered assistance to 23 Nehru Yuvak Kendras, 10 Bal Bhavans and Bal Kendras.

2. *Assistance towards binding and preservation of rare books, journals and manuscripts :*

The Foundation adopted this scheme in 1975-76 to give financial assistance to old and well-established libraries of the country for fumigation, lamination, repair, binding and preservation of rare books, journals and manuscripts. Though the Foundation recommends that such rare books and manuscripts should be collected and preserved by some selected libraries having facilities for preservation of such materials, many libraries do not like to part company with their treasures. Hence assistance has to be given under the scheme to a large number of public libraries on the recommendation of the State authorities. During 1979-80 the Foundation rendered financial assistance to 53 libraries amounting to Rs. 0.63 lakhs. So far the Foundation has covered 170 libraries and spent Rs. 7.55 lakhs for the purpose.

(The list of libraries assisted under the programme during 1979-80 is given in Appendix VI)

3. *Assistance towards development of rural book deposit centres and mobile library services :*

If the benefits of public library service are to reach the vast number of limited educated and neo-literate persons in small towns and villages, arrangement should be made to deliver the books, written in simple language on subject of popular interest, at their doorsteps. All established libraries and reputed voluntary organisations engaged in social welfare activities are encouraged to organise this service. Assistance under the scheme is given in the form of books, cycles, rickshaws, trunks, bags etc. The recipient institutions are expected to circulate books from one delivery station to another with the help of cheap modes of transport or volunteers.

Where library service has not reached the rural areas, book delivery stations may be set up in villages; and where library coverage is extended to villages, door to door service may be organised in co-operation with the agencies and workers engaged in implementing adult education programmes.

During the year the Foundation gave assistance to 50 libraries of Kerala for purchasing bicycles. Assistance was also given to the Visva-Bharati University for supporting 5 rural libraries with circulating library service.

4. *Assistance towards the organisation of library workshops, seminars and book exhibitions :*

The object of the scheme is to give reorientation training to librarians and to promote interest in books and in reading among the public.

Assistance under the scheme was given to the Indian Library Association for the organisation of (a) a seminar on "Libraries for Children" in New Delhi from 13-15 November 1979, (b) XXVI All India Library Conference and a symposium on the "Impact of rising prices of books on the development of libraries" in New Delhi from 6-9 March 1980, and (c) National Convention of Oriental Libraries at Allahabad from 20-21 April 1980.

Another all-India association — Indian Association of Special Libraries and Information Centres was given assistance towards holding their XII All India Conference at Roorkee from 26 to 29 December, 1979. The Conference organised symposium on two topics : "National Information and Library Policy" and "Application of Management Techniques to Library and Information Systems".

Assistance was also rendered to four District Library Authorities of Andhra pradesh viz. Hyderabad, Visakhapatnam, Tirupati and Guntur, for the organisation of refresher

courses for the Librarians of Branch Libraries. In all 390 librarians received short course training. The programme received good response and proved so beneficial that the Government of Andhra Pradesh have decided to cover the rest of the districts in course of the next two to three years.

It is expected that more and more States will come forward to take advantage of this scheme in the coming years.

5. *Assistance towards storage of books :*

This is a new scheme adopted for implementation in 1979-80 to facilitate the small libraries below the District level to keep and display the increasing number of books received from the Foundation. Under the scheme financial assistance is given to the libraries for purchasing not more than two almirahs/racks in a year on the recommendation of the State Government. During the year 50 libraries of Orissa received assistance for the purpose.

(Number of libraries covered under various programmes during 1979-80 is given in Appendix **VIII**)

Problems and bottlenecks

In executing the programmes, the Foundation was confronted with various problems and bottlenecks during the period under review. Apart from late submission of proposals for assistance by some of the States, the expected proposals from some other States were not received at all during the year. As a consequence funds received from and earmarked for these States could not be utilised and this accounts for a large closing balance at the end of the year.

Acquisition of books in bulk for the participating libraries is desirable because it reduces expenditure on purchase and encourages publishers to produce books according to our choice. The Foundation, therefore, requests the State authorities to prepare common lists of books for various categories

of libraries. This is in conformity with the objectives of the Foundation, and it also suits administrative convenience. But the procedure is not liked by some on the ground that books acquired through centralised selection may not be acceptable to particular libraries. In fact, the Foundation received letter from a State Government requesting that funds be placed at their disposal for distribution among the libraries. Obviously this could not be accepted.

On the other hand, the scheme of bulk purchase of books is, perhaps, encouraging publishers to price their titles unreasonably high. Requests are often received from publishers for increased prices of selected books on grounds of higher cost of production in new editions. To check this tendency the Foundation has requested the State authorities to select books after physical verification and also to take into account both the quality and price of a book before selection.

The Foundation purchases books at a graded rate of discount depending on the number of copies of a title to be purchased. The rate was approved by the Administrative Committee on the recommendation of the Evaluation Committee. Though the formula has been working well, it failed in the case of Gujarat. The publishers and booksellers of Gujarat did not agree to sell books at the approved rates of discount. The matter is being examined.

The problem of non-receipt of acknowledgement from some of the libraries for books supplied to them by the publishers continued during the year. The Foundation is now requesting the State authorities to receive books at some central points for distribution. Most of the States have now agreed to do so. As regards clearance of outstanding liabilities, the Administrative Committee adopted certain procedures which were given effect to during the year.

The Foundation gives financial assistance to some

well-established libraries for binding and preservation of rare books and manuscripts. To ensure proper utilisation it calls for list of books bound or repaired with such assistance. The scrutiny of the lists reveals that not all the books can be regarded as rare material. Since the libraries do not get funds for the binding of their old books, a little deviation from the condition of grants under the scheme cannot possibly be avoided.

X OTHER ACTIVITIES

Celebration of 207th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and 7th Foundation Day of the Foundation

The Foundation celebrated the 207th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and the 7th anniversary of the Foundation Day on 22 May 1979. Prof. Dilip Kumar Biswas gave an address on "Religious and Social Ideas of Raja Rammohun Roy". Prof. R. K. Das Gupta presided. A drama entitled Rammohun was presented by the Folk Entertainment Section of the Government of West Bengal.

Second State Library Planning Committee Conveners' Conference

The Conveners of State Library Planning Committees are the key officials of State Governments in matters of library service. It is, therefore, considered useful to hold occasional conferences of the Conveners for exchange of views and for sorting out certain issues across the table. The 2nd S.L.P.C. Conveners' Conference was held from November 16 to 17, 1979 at Shastri Bhavan, New Delhi. Representatives from sixteen States and Union Territories attended the conference. Shri Saran Singh, Secretary, Department of Social Welfare and Shri B. L. Bharadwaj, President of Indian Library Association presided respectively over the Inaugural Session and the Business Sessions of the Conference. Shri Mir Nasrullah, Additional Secretary, Department of Culture inaugurated the Conference. The main theme of discussion

was the problems and prospects of rural library service in the country. The conference adopted a number of recommendations on various aspects of library organisation and administration. These were given due publicity and brought to the notice of the concerned authorities for consideration.

(For the recommendations of the 2nd S. L. P. C. Conveners' Conference please see Appendix VII

Reception to a Foreign Visitor

On the advice of the Ministry, the Foundation received Mr. R. J. Huse, County Librarian, West Sussex, U. K. and arranged for his visit to some public libraries around Calcutta. A meeting was organised on 22 March 1980 in which Mr. Huse spoke on "Public Library System in Britain."

XI. TOURS AND CONTACTS

Member-Secretary

Dr. B. P. Barua, the Member-Secretary of the Foundation was associated with the State Library Planning Committee, West Bengal when that Committee was drafting the West Bengal Public Libraries Bill. He was invited by the Government of Andhra Pradesh to give the Valedictory address at a Refresher Course for Branch Librarians and was Guest-in-chief at the Inauguration of the Master of Library and Information Science Course in Andhra University.

Field Officer

During the year the Field Officer, Dr. Pandey S. K. Sharma visited various places in Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh on various missions, such as to establish and renew contacts with State Governments and to inspect grantee libraries. During his visit to Madhya Pradesh and Gujarat he addressed meetings of local librarians, library science students and representative of state library associations organised by

the library authorities of the respective states. He also attended the XXVI All India Library Conference held under the auspices of Indian Library Association in New Delhi and explained to the delegates the schemes and achievements of the Foundation.

XII. ACHIEVEMENTS

The Foundation took one more step towards the goal of promoting library movement all over the country. Between 1972, the year of its establishment and March 1980 the Foundation received a total contribution of Rs. 237.65 lakhs out of which Rs. 137.30 lakhs was received from the Government of India and the remaining Rs. 100.35 lakhs from the States. The volume of assistance rendered during the year amounts to Rs. 31.89 lakhs and the grand total of assistance during the last eight years is of Rs. 2.07 crores.

(Amount of contribution received from and amount of assistance rendered to various States and Union Territories are shown in Appendix IX)

Over the last eight years the Foundation has covered over eleven thousand libraries at various levels

State Libraries	27
District Libraries	403
Nehru Yuval Kendras	135
Bal Bhavans, Bal Kendras etc.	41
Town and Rural Libraries	10,243
Mobile libraries, rural book deposit centres	330
Libraries run by voluntary organisations, N. S. S. centres and others	209
TOTAL	...	11,388	

1972-73 to 1979-80 (For number of libraries covered at different levels from please see Appendix X)

The Foundation is engaged in the difficult task of taking library service to the small towns and villages with the object of developing reading habits among the masses. This is somewhat dependent upon the progress of literacy and primary education in the country. Non-availability of suitable literature for the common readers and general economic backwardness in the countryside are the other impeding factors. Within these constraints and limitations the Faundation implemented its schemes and projects during the year under review.

APPENDICES

LIST OF MEMBERS OF THE FOUNDATION

1. Dr. Bhabatosh Datta ... Chairman
(till November 7, 1979)
2. Prof. R. K. DasGupta ... Chairman
(from November 8, 1979)
3. Shri Saran Singh
Secretary
Department of Social Welfare
Ministry of Education & Social Welfare
New Delhi.
4. Shri Mir Nasrullah
Additional Secretary
Department of Culture
Ministry of Education & Culture
New Delhi.
5. Shri Anil Bordia
Joint Secretary
Department of Education
Ministry of Education & Culture
New Delhi.
6. Shri J. A. Kalyanakrishnan
Financial Adviser
Integrated Finance Division
Ministry of Education & Culture
New Delhi.
7. Shri A. L. Dias
Chairman
National Book Trust, India
A-5, Green Park
New Delhi.

8. Dr. R. S. Kelkar
Secretary
Sahitya Academy
Rabindra Bhavan
Ferozeshah Bhavan
Ferozeshah Road
New Delhi
9. Shri B. L. Bharadwaj
President
Indian Library Association
L-18, Kalkaji
New Delhi.
10. Shri P. N. Panicker
Kerala Association for Non-formal
Education and Development
Trivandrum
11. Shri Zawar Hussain
10-Water Tower Road
Patna.
12. Miss Lata Patankar
Sr. Professor
Mulji Jetha College
Jalgaon
Maharashtra.
13. Sr. Helen Vincent
Principal
Stella Maris College
Madras.
14. Smt. Sadhana Sarkar
Principal
Rammohun College
Calcutta-9.
15. Prof. Bidhu Bhusan Das
Director of Public Instruction
Bhubaneswar.

16. Prof. A. K. Jalaluddin
Director
Directorate of Adult Education
New Delhi.
17. Prof. S. Maqbul Ahmed
Centre of Central Asian Studies
The University of Kashmir
Srinagar-100 006
18. Prof. R. K. Das Gupta
Director National Library ... (upto November 7, 1979)
Calcutta.
19. Shri J. C. Mehta
Director
Delhi Public Library
Delhi.
20. Shri N. D. Bagari
State Librarian & Head of the
Dept. of Public Libraries
Government of Karnataka
Bangalore.
21. Shri B. N. Tewari
Librarian
State Central Library
Allahabad.
22. Shri Ram Goswamee
Librarian
State Central Library
Gauhati
Assam.
23. Dr. B. P. Barua
Member Secretary
R. R. R. L. F.
Calcutta.

LIST OF MEMBERS OF THE ADMINISTRATIVE COMMITTEE

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Dr. Bhabatosh Datta | ... Chairman
(till November 7, 1979) |
| 2. | Prof. R. K. Das Gupta | ... Chairman
(from November 8, 1979) |
| 3. | Shri J. A. Kalyanakrishnan
Financial Adviser
Integrated Finance Division
Ministry of Education & Culture
New Delhi. | |
| 4. | Under Secretary (Libraries)
Department of Culture
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan
New Delhi. | |
| 5. | Prof. R. K. Das Gupta
Director
National Library
Calcutta-27. | ... (till November 7, 1979) |
| 6. | Prof. A. K. Jalaluddin
Director
Directorate of Adult Education
New Delhi. | |
| 7. | Prof. Bidhu Bhushan Das
Director of Public Instruction
Government of Orissa
Bhubaneswar. | |

8. Smt. Sadhana Sarkar
Principal
Rammohun College
Calcutta-9.
9. Shri J. C. Mehta
Director
Delhi Public Library
Delhi.
10. Shri B. L. Bharadwaj
President
Indian Library Association
New Delhi.
11. Shri N. D. Bagari
Librarian & Head of the
Dept. of Public Libraries
Government of Karnataka
Bangalore.
12. Dr. B. P. Barua
Member Secretary
R. R. R. L. F.
Calcutta.

APPENDIX-III

LIST OF CONVENERS OF STATE LIBRARY PLANNING COMMITTEES

1. ANDHRA PRADESH :

The Director of Public Libraries,
Hyderabad.

2. ASSAM :

State Central Librarian,
Gauhati.

3. BIHAR :

The Superintendent of Libraries,
Sinha Library Campus,
Patna.

4. GUJARAT :

The Curator of Libraries,
Gujarat State,
0-4, New Mental Hospital Buildings,
Ahmedabad-16.

5. HARYANA :

The Dy. Director of Public Instruction (College),
Chandigarh.

6. HIMACHAL PRADESH :

The State Librarian,
State Central Library.
Solan.

7. **JAMMU & KASHMIR :**
The Director,
Library Research & Museum,
J & K Government,
Srinagar.
8. **KARNATAKA :**
The State Librarian & Head of the
Department of Public Libraries,
Sheshadri Iyar Memorial Hall,
Cubbon Park,
Bangalore-1.
9. **KERALA :**
The State Librarian,
Trivandrum Public Library.
Trivandrum-1.
10. **MADHYA PRADESH :**
The Chief Librarian,
Directorate of Public Instruction.
Bhopal.
11. **MAHARASHTRA :**
The Director of Public Libraries,
M. S. Town Hall,
Bombay.
12. **MANIPUR :**
The Chief Librarian,
State Central Library,
Imphal.
13. **MEGHALAYA :**
The Director of Public Instruction,
Shillong.

14. **NAGALAND :**
The Joint Director,
Art & Culture,
Kohima.
15. **ORISSA :**
The Under Secretary to the Govt. of Orissa,
Dept. of Tourism & Cultural Affairs.
Bhubaneshwar.
16. **PUNJAB :**
The Librarian,
State Central Library,
Patiala.
17. **RAJASTHAN :**
The Dy. Director, Social Education,
Rajasthan,
Bikaner.
18. **SIKKIM :**
The Asstt. Cultural Officer, Office of
the Secretary, Cultural Affairs.
Gangtok.
19. **TAMIL NADU :**
The Director of Public Libraries,
Madras-8.
20. **TRIPURA :**
The State Librarian,
Birchandra Public Library,
Govt. of Tripura,
Agartala-799001.
21. **UTTAR PRADESH :**
The Librarian, Govt. Central Library,
Allahabad.
22. **WEST BENGAL :**
The Dy. Director of public Instructions,
(Social Edn.), Govt. of West Bengal,
Writers' Buildings,
Calcutta-700001.

UNION TERRITORIES :

1. **ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS :**

The Director of Education,
Andaman & Nicobar Islands,
A & N Administration,
Port Blair, Andaman.

2. **ARUNACHAL PRADESH :**

The Librarian, Central Library,
Govt. of Arunachal Pradesh,
Chengod, P. O. Itanagar (New Itanagar),
Dist. Subansiri.

3. **CHANDIGARH :**

The Librarian,
T. S. State Central Library,
Chandigarh.

4. **DADRA & NAGAR HAVELI :**

The Head of the Education Department,
Dadra & Nagar Haveli, Silvassa,
Office of the Administrator,
Dadra & Nagar Haveli, Silvassa.

5. **DELHI :**

The Director of Education,
Delhi Administration,
Old Secretariat,
Delhi.

6. **GOA DAMAN & DIU :**

The Curator,
Govt. of Goa, Daman & Diu,
Central Library,
Panaji, Goa.

7. LAKSHADWEEP :

The Social Welfare Officer,
P. O. Kavaratti,
(via-H. P. O. Calicut),
Lakshadweep.

8. MIZORAM :

The Dy. Director of Education,
Aizwal, Mizoram.

9. PONDICHERRY :

The Director of Education,
Pondicherry-605001.

ORGANISATION CHART

CHAIRMAN

MEMBER SECRETARY

EXECUTIVE OFFICER

FIELD OFFICER

ASSISTANT SECRETARY

DEVELOPMENT & RESEARCH

ADMINISTRATION & ACCOUNTS

ASSISTANCE & PUBLICATIONS

STATEMENT OF AUDITED ACCOUNTS OF THE FOUNDATION FOR THE YEAR 1979-80

i) Receipts and Payments Account for the period from : 01-4-79 to 31-3-1980

PAYMENTS RECEIPTS

6. Kerala	1,35,000.00	5. Rent of building	27,000.00
7. Karnataka	2,00,000.00	6. Other charges	57,771.17
8. Maharashtra	2,00,000.00	7. Leave salary & Pen- sion Contribution	5,570.00
9. Orissa	4,00,000.00		
10. Mizoram	20,000.00		
11. Tamil Nadu	2,00,000.00	8. Maintenance of Staff Car	11,034.80
12. Tripura	23,000.00		
13. Uttar Pradesh	2,00,000.00	9. Foundation's contri- bution to C.P.F.	8,818.34
14. West Bengal	1,00,000.00		
	19,08,000.00		
	—————		

**III. Grants Received from
the Govt. of India :**

Plan	20,00,000.00	10. Payment of Compul- sory Deposit	518.65
Non-Plan	3,55,000.00	11. Permanent Advance (Imprest)	500.00
	—————		

IV. Miscellaneous Receipts :

1. Bank Interest	6,261.39	12. Advances :	
2. Garage Rent	1,100.00	a) Bicycle	1,111.00
3. Sale proceeds of old newspapers etc.	54.00	b) Festival	3,000.00
4. Refund of T.A.	1,555.50	13. Staff Welfare	1,000.00
5. Refund of Flood Advance	538.00	14. Audit Fee	8,725.00
			3,56,658.21

RECEIPTS

PAYMENTS

	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
6. Refund of Festival Advance	280.00					
7. Refund of Premium	38.80					
8. Forfeiture to pay	375.40					
9. Refund of Leave Salary	649.05					
10. Compulsory Deposit Scheme	581.65					
11. Forfeiture of C.P.F.	1,434.00					
12. Refund of excess payment on servicing of type-writer	30.00					
13. Refund of excess payment on purchase of petrol	1.20					
14. Others	<hr/> 5,260.05		<hr/> 18,159.04		<hr/> 1,454.20	
V. RRRLF (Employees) C.P.F. Accounts :						
Opening Balance :						
Cash in hand	36,634.05		38,088.25		36,634.05	
Cash at bank	<hr/>		<hr/>		<hr/>	<hr/> 57,233.16

Employees subscriptions 9,232.00

Refund of advance 2,083.00

Foundation's contribution to C.P.F. 8,818.34

Interest received from bank 1,673.66 21,807.00

2. *Assistance towards development or Rural Book Deposit Centres & Mobile Library Services* 41,932.73

3. *Assistance to old and well established libraries towards Processing (Cataloguing and Classification), Binding and Preservation of out-of print books and of rare manuscripts* 63,375.00

B. *New Schemes :*

4. *Assistance to libraries towards storage of books* 24,000.00

5. *Assistance toward organisation of Seminars, Workshops, Training Courses and Book Exhibitions* 42,390.00 31,88,909.37

C. *Refund of Security Deposit* 2,350.00 2,350.00

III. *Publications of the Foundation :*
1. *Publications* 3,296.68 3,296.68

IV. *Capital Expenditure :*
1. *Furniture & equipment* 8,823.60 8,823.60

Rs.	P.	Rs.	P.
-----	----	-----	----

Rs.	P.
-----	----

V. RRRLF (Employees) C.P.F. Accounts :

Advance to employees	4,450.00
Final withdrawal by employees	1,622.55
Write back of Foundation contribution to RRRLF A/c.	1,434.00
	7,506.55

**Closing Balance of RRRLF
(Employees) C.P.F. A/cs.**

Cash in hand	1,977.32
Cash at bank (includes investment of Rs. 27,000.00)	50,411.38
	52,388.70

Closing Balance :

Cash in hand	695.48
Cash at bank	10,64,035.32
Term deposit, Fixed deposit & Savings a/cs	1,89,511.40
	12,54,242.20

Grand Total : 48,74,175.31

Grand Total : 48,74,175.31

(ii) *Income and Expenditure account for the year ending on 31st March, 1980*

EXPENDITURE				INCOME			
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.
<i>I. Administration :</i>				<i>I. Contributions received from the State Governments and Grants received from the Government of India</i>			
1. Pay & Allowances of Staff	1,96,473.23						
2. Travelling Allowances of Staff	14,056.60						
3. Medical & other Allowances of Staff	5,146.77						
4. Travelling Allowances etc. to members of the Foundation, Administrative Committee etc.	23,832.75						
5. Rent of building	27,000.00						
6. Other charges	59,485.87						
7. Leave Salary and Pension Contribution	5,570.00						
<i>II. Miscellaneous Receipts :</i>				<i>i) Sale proceeds of old newspapers etc.</i>			
				i) Garage rent	1,100.00		
				ii) Others	5,260.05		
							6,414.05

EXPENDITURE

INCOME

	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
8. Maintenance of Staff Car	11,221.70				
9. Foundation's contribution to C.P.F.				III. Forfeiture of C.P.F. Deposit	1,434.00
10. Grant for Staff Welfare	8,818.34			IV. Interest received from bank	₹ 261.39
11. Audit fee	<u>8,725.00</u>	<u>3,61,330.26</u>		V. Refund of Leave Salary	649.05
II. Assistance to Libraries :					
Purchase and distribution of books		30,17,211.64			
Organisation of Mobile Library Services etc.	41,932.73				
			<u>30,59,144.37</u>		
<i>Less clearance of old liabilities during the year</i>			2,09,715.94		
				<u>28,49,428.43</u>	
<i>Add outstanding liabilities during the year</i>	80,918.03		29,30,346.46		

*Assistance towards
Processing (Cataloguing
& Classification), Bind-
ing and Preservation of
out-of-print and rare
books and manuscripts*

63,375.00

New Schemes :

Assistance to libraries to-
wards storage of books
Assistance towards orga-
nisation of Seminars,
Workshops, Training
Course and Book Exhibi-
tions

24,000.00

42,390.00

III. Publications of the Foundation :
Publications

3,296.68

**IV. Excess of income over
expenditure**

8,53,020.09

Grand Total :

42,77,758.49

Grand total :

42,77,758.49

LIABILITIES			ASSETS			
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Outstanding Liability :			I, Furniture & Equipments :			
As per last account	6,97,534.73		As per last account	1,02,328.99		
Less clearance during the year	<u>2,09,715.94</u>		Add during the year	<u>8,823.60</u>		1,11,152.59
			II. Staff Car :			
			As per last account	29,111.85		
			Add during the year	<u>—</u>		29,111.85
			III. Deposits :			
			As per last account :			
			Posts & Telegraphs			
			Depit.			15,000 00
			Land-lord (Rent of building)			4,500.00
			Caution Money			100.00
						19,600.00
			IV. Advances : Festival :			
			As per last account			1,100.00
			Add during the year			3,000.00
						4,100.00
			Less refund during the year			2,920.00
						1,180.00

IV. RRRRLF (Employees) C.P.F. A/c:

<i>As per last account</i>	38,088.25
<i>Add during the year</i>	21,807.00
	<hr/>
	59,895.25

<i>Less withdrawal during the year</i>	6,072.55
	<hr/>
	53,822.70

<i>Less amount credited to RRRLF account</i>	1,434.00
	<hr/>
	52,388.70

Flood :

<i>As per last account</i>	6,181.00
----------------------------	----------

<i>Add during the year</i>	—
----------------------------	---

V. Income & Expenditure A/cs

<i>Excess of income over Expenditure</i>	8,53,020.09
--	-------------

<i>Less excess of expen- diture over income as per last account</i>	1,47,624.69
	<hr/>
	7,05,395.40

<i>Less on account of capital expenditure</i>	8,823.60
	<hr/>
	6,96,571.80

T. A. :

<i>As per last account</i>	2,993.00
<i>Add during the year</i>	—
	<hr/>
	2,993.00

Bi-cycle :

<i>As per last account</i>	627.00
<i>Add during the year</i>	1,111.00
	<hr/>
	1,738.00

<i>Less refund during the year</i>	968.00
	<hr/>
	770.00

<i>Less adjustment during the year</i>	2,993.00
	<hr/>
	—

LIABILITIES

Rs. P.

ASSETS

Rs. P.

Petrol & Mobile Oil :

As per last account	188.10
<i>Add</i> during the year	—
	<hr/>

Less adjustment during
the year 188.10

Postal Stamp :

As per last account	1,783.50
<i>Add</i> during the year	—
	<hr/>

Less adjustment during
the year 1,783.50

V. Closing Balance :

Cash in hand	695.48
Cash at bank	10,64,035.32
Term deposit, Fixed deposit and savings account	1,89,511.40
	<hr/>

*Cash balance with
the imprest holder*

500.00

IV. RRRLF (Employees) C.P.F.

Account :

Closing Balance :		
Cash in hand	1,977.32	
Cash at bank		
(includes investment of		
Rs. 27,000.00)	50,411.38	52,388.70
	Grand Total :	14,71,295.34
Sd/- S. K. Ganguly	Sd/- S. K. Basu	Sd/- B. P. Barua
Accountant	Executive Officer	Member Secretary
20.6.80	20.6.80	20.6.80
	Grand Total :	14,71,295.34

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the foregoing accounts and balance-sheet of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta for 1979-80 and obtained all the information and explanations that I have required and subject to observations in the Inspection Report appended. I certify as a result of my audit and test-check of accounts that in my opinion these accounts are properly drawn up so as to exhibit a true and fair state of affairs of the Foundation according to the best of my information and explanation given to me and as shown by the books of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta produced before me.

Sd/- S. K. Roy

Audit Officer, Director of Audit, Central Calcutta

Dated : 3.9.80

**LIST OF LIBRARIES ASSISTED UNDER THE SCHEME
OF "ASSISTANCE TOWARDS BINDING &
PRESERVATION OF RARE BOOKS AND
MANUSCRIPTS" DURING 1979-80**

1) ANDHRA PRADESH :

	State-wise Amount	Amount Rs.
1. Bapuji Vachanalaya, Nizamabad, A. P.	1,500	
2. Abul Kalam Azad Oriental Research Institute, Hyderabad, A. P.	1,500	
3. Andhra Pradesh Gandhi Smarak Nidhi Library, Gandhi Gyan Mandir, Hyderabad, A. P.	1,000	
4. District Central Library Ongole-523 002.	1,500	<u>5,500</u>

2) BIHAR :

1. District State Library, Dhanbad, Bihar.	1,500
2. Gyan Niketan Pustakalaya Parasnani Chawk, Bihar.	1,000
3. District Central Library Aurangabad, Bihar.	1,000
4. Gantantra Gyan Mandir Smarak Chakramdas (Vaishali).	1,000
5. Gram Hitkarini Pustakalaya Srichandpur (Patna).	500
6. District Central Library, Nalanda, Bihar Sarif.	250
	1,000

		State-wise Amount	Amount Rs.
7.	Sri Hindi Pustakalaya, Sohsaria.	1,000	
8.	Samaj Sadan Pustakalaya Bangpur, Bihar.	1,000	
9.	Gopal Narayan Pustakalaya Bharatpur (Patna).	2,500	
10.	Sri Ganga Pustakalaya, Darwara (Nalanda).	250	
11.	Shri Nandan District Central Library, Chapra, Dist.-Saran.	1,000	
12.	Gyan Niketan Pustakalaya Parasnani Chawk, P.O.-Parasnani Dist.-Sitamarhi.	1,000	
13.	Gantantra Gyan Mandir Smarak P.O. Chakramdas. Dist,-Vaishali.	500	12,500
<hr/>			
3)	MADHYA PRADESH :		
1.	Maulana Azad Central Library Bhopal, M. P.	<hr/> 4,000	4,000
4)	GUJARAT :		
1.	Shri Bhagbatsinhji Public Library, Gondal.	500	
2.	Roychand Dipchand Library Broach, Gujarat.	375	
3.	A. S. Dahilaxmi Library Nadiad, Gujarat.	<hr/> 2,500	3,375
5)	ORISSA :		
1.	Madan Mohan Pathagar P.O. Bellagam, Via-Nimakhandi (Ganjam) Orissa.	1,250	

	State-wise Amount Rs.	Amount Rs.
2. Antaryami Pathagar, Vill. Sartola, P.O. Bamara, Via-Garadpur, Dist. Cuttack.	1,000	
3. Budhiani Pathagar At-Narasinghapur, P.O. Haladia, Via-Nischintakoil, Cuttack.	1,500	
4. Pragati Utkal Sangha Qr. No. B-9, Sector-7, Fakir Mohan Nagar, Rourkella-3	1,500	
5. Gopaljee Pathagar, P.O. Keonjhar Bazar, Dist. Keonjhar Pin-758 002 (Orissa).	1,000	
6. Swami Vivekananda Pathagar P.O. Nalabanta Dist. Ganjam, Orissa.	500	
7. Sarbamangala Yuvak Sangha, (Balunkeswar Pathagar) P.O. Hajipur, Via-Anakhlia, Cuttack.	250	
8. Jayanti Pathagar Sahapada Brahmabarada Dist. Cuttack.	250	
9. Jayaduraga Pathagar Bhagabatipur, P.O. Dakhinaradas, Via-Pipli, Dist. Puri.	250	7,500

6) RAJASTHAN :

1. Shri Oswal Pustakalaya
Ladnu, Rajasthan. 1500
2. Shri Yuvak Sangha Pustakalaya
Avam Wachanalaya, Mundawa,
Rajasthan. 500

	State-wise Amount	Amount Rs.
3. Sri Didwana Hindi Pustakalaya Didwana, Rajasthan.	2,500	
4. Sri Kuchaman Pustakalaya, Kuchaman City, Pin-341 508.	1,500	
5. Sri Public Pratap Pustakalaya C/o Shri Krishna Parishad Surajgarh, Rajasthan.	500	
6. Shri Mahavir Pustakalaya Station Road, Sikar.	500	
7. Sri Navajyoti Pustakalaya Ramgarh, Shekhawati.	500	7,500

7) TAMIL NADU :

1. Shunmugananda Library & Reading Room, Marungoor.	1,000	1,000
--	-------	-------

8) UTTAR PRADESH :

1. Hindi Pustakalaya Barabanki, U.P.	1,500
2. Malaviya Pustakalaya Aligarh, U.P.	5,000
3. Bharati Bhawan Pustakalaya Allahabad, U.P.	2,500
4. Durga Sah Municipal Library Nainital, U.P.	2,500
5. Govt. Library, Mathura, U.P.	1,000
6. Govt. District Library, Bareilly, U.P.	1,000
7. Govt. District Library, Gorakhpur, U.P.	1,000

	State-wise Amount	Amount Rs.
	Rs.	
8. Govt. District Library, Almora, U.P.	1,000	
9. Govt. District Library, Uttarkashi, U.P.	1,000	
10. Govt. District Library, Pithoragarh, U.P.	1,000	
11. Govt. District Library, Gopeswar, U.P.	1,000	<u>18,500</u>

9) HARYANA :

1. State Central Library Staff Road, Ambala Cantt. Pin-133 001.	2,500	2,500
	<u>2,500</u>	

10) KERALA

1. District Central Library Palghat	1,000
	<u>1,000</u>

Grand Total

63,375

RECOMMENDATIONS OF SECOND STATE LIBRARY PLANNING COMMITTEE CONVENERS' CONFERENCE

1) *Library Legislation :*

The Conveners are of the opinion that the development of an integrated system of public library service in the States and Union Territories is a pre-requisite to the effective implementation of the policies and programmes of library promotion undertaken by the Foundation. An infrastructure of library service can be established by means of library legislation as adopted by Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and West Bengal. The Conference recommends the adoption of library legislation by rest of the States and Union Territories on any model that will suit their needs and circumstances. If some States and Union Territories are not in a position to enact library legislation in the near future, they may frame suitable administrative rules for the systematic expansion, control, management and supervision of public libraries.

2) *State Library Planning Committee :*

The Conference recommends the constitution of State Library Planning Committees by those States and Union Territories which have not yet set up the Committees for effective planning and implementation of the programmes of the Foundation.

It is suggested that the State Library Planning Committees be renamed as State Library Committees in consonance with the functions they perform.

The Committees are expected to become more active for

ensuring regular flow of contributions to and assistance from the Foundation.

3) *Additional Resources :*

The Conference is pleased to note that some States are willing to contribute more funds to the Foundation with a view to receiving larger share of matching assistance. To facilitate expansion of library service in the rural areas the country needs large resources. Fund provided by the Central and State Governments are not adequate to meet the growing needs for reading facilities. The Conference recommends larger allocation of resources for the promotion of rural library service in the country.

4) *Objectives of Rural Library Service :*

The primary objective of rural library service is the development of reading habits among the people as a prerequisite to their socio-economic progress, democratic functioning of society and a better and fuller life.

A rural library is expected not only to provide reading facilities to the readers but to undertake extension programmes of various kinds to make the library a cultural centre in the village. As far as possible the library may store and disseminate information about the local development programmes for the benefit of the community it serves.

The rural libraries will continue to promote the cause of adult education by storing suitable literature for neo-literates. The Conference feels that there is further scope to link up adult education programmes with the rural library services.

5) *Selection, Purchase & Distribution of books :*

The Conveners have taken note of the new guidelines issued by the Foundation that 25% of books should be selected from the category of Children's Literature and Literature for the Neo-literates and that State Library Planning Committee

may set its own guidelines according to local needs and circumstances.

It is advisable that book selection is made after physical verification of the books which may be kept as specimen copies for settlement of disputes that may arise at the time of purchase or payment.

The conveners deprecate the tendency of some publishers to price their books unreasonably high when such books are considered for acquisition under a scheme of bulk purchase. The Conference recommends that reasonableness of price of books should also be taken into consideration in selecting books. To assess the factor properly, Superintendent or Director of Printing and Stationery, as the case may be, may be included in the State Library Planning Committee or in the Sub-Committee for book selection.

The State Library Planning Committees may encourage production of useful literature in regional languages by promising to purchase such books in bulk for distribution to the libraries.

It is noted that procedure of purchase and distribution of books by the State authorities and payment by the Foundation has been working satisfactorily. The Conference recommends the adoption of the procedure by those States which have not yet done so.

6) *Programmes of the Foundation :*

The Conference expresses its satisfaction that the Foundation has adopted two new schemes of assistance viz. Assistance towards organisation of seminars, workshops, training courses and book exhibitions and Assistance towards storage of books. The Conveners suggest to consider the extension of the scope of the first scheme for publication of selected bibliographies.

The Conference also recommends that the Foundation may prepare a model plan for a low-cost village library keeping in view Indian conditions and need of the rural masses.

**STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF LIBRARIES COVERED UNDER VARIOUS
PROGRAMMES DURING 1979-80:**

Sl. No.	Name of the State / U.T.	District Libraries	Sub-Div./Block/ Taluka/Area/ Rural Libraries	Mobile Libraries	Libraries assisted for storage of books*	Libraries assisted for Biodiversity & Preservation.	Nehru Yuvaak Keddras	Jawahar Bal Bhawan & Jawahar Bal Kendras	Others/N.S.S.	TOTAL
1.	Andhra Pradesh	1	28	658	—	4	14	—	—	705
2.	Assam	1	19	61	—	—	—	1	—	82
3.	Bihar	1	17	353	—	—	—	—	—	384
4.	Gujarat	1	18	—	5	—	3	—	—	27
5.	Haryana	1	6	43	—	—	1	1	3	55
6.	Himachal Pradesh	1	11	—	—	—	—	—	—	12
7.	Jammu & Kashmir	1	19	—	—	—	—	—	—	20
8.	Karnataka	1	19	734	—	—	—	—	—	754
9.	Kerala	1	11	65	50	—	3	1	2	133
10.	Madhya Pradesh	1	29	—	—	—	1	—	—	31
11.	Maharashtra	1	26	405	—	—	—	—	—	433
12.	Manipur	1	1	—	—	—	—	—	—	6

13. Meghalaya	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
14. Nagaland	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15. Orissa	1	14	-	-	50	9	-	-	-	-	74
16. Punjab	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	7
17. Rajasthan	1	37	-	-	8	7	-	-	-	-	53
18. Sikkim	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	569
19. Tamil Nadu	-	13	555	-	-	-	-	-	-	-	32
20. Tripura	1	13	18	-	-	-	-	-	-	-	346
21. Uttar Pradesh	1	55	278	-	-	11	-	-	-	-	1928
22. West Bengal	1	21	1896	5	5	-	-	-	-	-	-

1. Andaman & Nicobar Islands	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Arunachal Pradesh	1	5	19	-	-	-	-	-	-	-	25
3. Chandigarh	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
4. Dadra & Nagar Haveli	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5. Delhi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Goa, Daman & Diu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7. L.M. & A. Islands	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-	10
8. Mizoram	1	-	42	-	-	-	-	-	-	-	3
9. Pondicherry	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
Total	27	382	5137	60	55	53	23	10	-	-	5747

* Most of the libraries covered under these schemes have also been covered under the scheme of book assistance.

APPENDIX-IX

**STATEMENT SHOWING THE AMOUNT OF CONTRIBUTION
RECEIVED FROM AND AMOUNT OF ASSISTANCE
 RENDERED TO VARIOUS STATES AND UNION
TERRITORIES DURING 1979-80**

Name of the State/U.T.	Contribution received during the year	Assistance rendered during the year	Remarks
1	2	3	4
Andhra Pradesh	2,00,000.00	5,05,231.26	Includes balance assistance for previous year.
Assam	/	54,712.44	Expected contribution was not Received.
Bihar	*2,00,000.00	1,15,283.01	Part assistance was rendered in 1978-79 against this contribution.
Gujarat	/	3,375.00	Contribution received in previous year.
Haryana	/	1,02,397.60	Assistance rendered against contribution received previously.
Himachal Praddsh	*10,000.00	/	Assistance to be rendered next year due to late receipt of proposals.
Jammu Kashmir	/		
Karnatak	2,00,000.00	/	
Kerala	*1,35,000.00	6,67,130.11	Includes balance assistance for previous year.
Madhya Pradesh	/	24,434.38	Assistance could not be rendered due to non-receipt of proposals.
Maharashtra	2,00,000.00	4,000.00	Assistance given in expectation of contribution.
Manipur	/	4,01,929.63	
Meghalaya	/	/	
Nagaland	/	3,243.73	Contribution received in the past.

1	2	3	4
Orissa	**4,00,000.00	27,500.00	Proposals not received. Assistance rendered for the previous year.
Punjab	—	—	—
Rajasthan	—	8,948.20	Assistance given in expecta- tion of contribution.
Sikkim	—	3,500.30	Contribution received in the previous year
Tamil Nadu	*2,00,000.00	4,04,631.80	—
Tripura	23,000.00	76,920.88	Contribution received in previous year.
Uttar Pradesh	*2,00,000.00	2,19,432.32	Assistance rendered in previous year.
West Bengal	*1,00,000.00	1,03,627.44	Adequate proposal not re- ceived. Part Assistance was given for the previous year.
Andaman & Nicobar Islands	10,000.00	—	Proposal not received.
Arunachal Pradesh	10,000.00	5,824.20	Adequate proposal not received.
Chandigarh	—	—	—
Dadra & Nagar Haveli	—	—	—
Delhi	—	—	—
Goa, Daman & Diu	—	—	—
L.M. & A. Islands	—	138.75	Proposal not received in time.
Mizoram	*20,000.00	—	Contribution received previously.
Pondicherry	—	6,220.56	Contribution received previously.

* This indicates amount of contribution for 1978-79 received in
1979-80.

** Rs. 2 lakhs relates to 1978-79 and Rs. 2 lakhs relates to 1979-80.

APPENDIX-X
**STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF LIBRARIES COVERED AT
 DIFFERENT LEVELS FROM 1972-73 TO 1979-80**

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	District Libraries	Sub-Div./Block/ Taluka/Area/ Rural Libraries	Rural Libraries run by Voluntary Organisation	Mobile Libraries	Libraries for Storage of books	Preservation of Books	Libraries assisted for Bindings	Neheru Yuva Kendras	Bal Bhawan/Bal Kendras & Chil- dren Libraries	Others/N.S.S.	TOTAL
1. Andhra Pradesh	1	28	1098	4	-	-	-	24	14	1	-	1170
2. Assam	1	19	61	9	-	-	-	5	4	3	-	102
3. Bihar	1	17	411	2	-	-	-	18	9	-	-	458
4. Gujarat	1	18	104	-	11	-	-	11	5	1	-	151
5. Haryana	1	6	43	-	-	-	-	1	1	6	-	58
6. Himachal Pradesh	1	11	-	5	-	-	-	1	5	1	-	24
7. Jammu & Kashmir	1	19	-	2	-	-	-	3	1	1	-	27
8. Karnataka	1	19	1891	8	-	-	-	5	8	1	-	1933
9. Kerala	1	11	1072	8	75	-	-	14	5	4	-	1190
10. Madhya Pradesh	1	49	-	4	-	-	-	9	11	2	-	76
11. Maharashtra	1	26	1087	-	1	-	-	2	2	7	-	1126
12. Manipur	1	5	26	18	-	-	-	1	2	-	-	53


13. Meghalaya	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
14. Nagaland	1	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	24
15. Orissa	1	14	341	8	-	50	22	7	-	116	559	
16. Punjab	1	6	-	-	-	-	-	5	-	-	12	
17. Rajasthan	1	37	-	13	-	-	13	12	-	-	76	
18. Sikkim	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	6	
19. Tamil Nadu	-	13	1455	-	-	-	7	4	3	-	1482	
20. Tripura	1	13	18	-	10	-	-	2	-	-	44	
21. Uttar Pradesh	1	56	562	8	125	-	25	19	1	-	797	
22. West Bengal	1	21	1896	-	107	5	7	8	6	-	2051	

1. Andaman & Nicobar Islands	1	-	20	3	-	-	-	-	-	-	-	24
2. Arunachal Pradesh	1	5	19	-	-	-	-	1	-	-	-	26
3. Chandigarh	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4
4. Dadra & Nagar Haveli	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
5. Delhi	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	5
6. Goa, Daman & Diu	1	-	46	-	-	-	-	1	1	-	-	49
7. Lakshadweep	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
8. Mizoram	1	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	22
9. Pondicherry	1	-	42	-	-	-	-	1	2	1	-	47
TOTAL :	27	403	10243	93	330	55	170	135	41	116	11613	



* Most of the libraries covered under these schemes have also been covered under the scheme of book assistance.

APPENDIX XI

**No. of Libraries Assisted & Amount of Assistance Rendered
During the Period 1972-1973 to 1979-80**



APPENDIX XII
Chart showing expenditure during the year 1979-80



1. Administrative expenditure including Capital items (10.37%)
2. Assistance for storage of books (2.40%)
3. Assistance to district Libraries (9.51%)
4. Assistance for mobile library service (4.30%)
5. Assistance to centrally sponsored libraries (5.80%)
6. Assistance for binding and preservation of rare books and Manuscripts (6.40%)
7. Assistance to rural libraries & town libraries (73.69%)
8. Assistance for seminar, refresher course etc. (4.30%)

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

अष्टम
वार्षिक विवरण
1979-80




RAJA RAM MOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

110, जोधपुर पार्क
कलकत्ता-700 068

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

अष्टम
वार्षिक विवरण
1979-80



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

110, जोधपुर पार्क
कलकत्ता-700 068

नवम्बर 1980

प्रकाशनाधिकार

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
110, जोधपुर पार्क
कलकत्ता 700 068

डॉ बी० पी० बरुआ, सदस्य-सचिव, राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान, 110, जोधपुर पार्क, कलकत्ता द्वारा
प्रकाशित तथा मेहता फाइन आर्ट प्रेस, 20, बाल मुकुन्द मवकर
रोड, कलकत्ता-700 007 द्वारा मुद्रित फोन : 34-1247

राजा रामसोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

वार्षिक विवरण

1979-80

विषय-सूची

	पृष्ठ
I परिचय	1
II अवस्थिति	1
III प्रतिष्ठान का गठन	2
IV प्रशासनिक समिति	3
V राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ	3
VI कर्मचारी तथा कार्यालय	4
VII वित्त-व्यवस्था	5
VIII नियम तथा विनियम	6
IX सहायता कार्यक्रम	6-16
X अन्य गतिविधियाँ	16-18
XI दौरे तथा सम्पर्क	18
XII उपलब्धियाँ	19-20

परिशिष्ट

I प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची	22-25
II प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची	26-27
III राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची	28-33
IV संगठन-सारिणी	34

V	प्रतिष्ठान के 1979-80 वर्ष के परीक्षित लेखा का विवरण	35-48
VI	वर्ष 1979-80 के दौरान अप्राप्य एवं दुर्लभ पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों की जिहदसाजी एवं परिरक्षण हेतु सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की सूची	49-53
VII	द्वितीय राज्य पुस्तकालय योजना समिति संयोजक सम्मेलन की सिफारिशें	54-57
VIII	वर्ष 1979-80 के दौरान प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किए गये पुस्तकालयों की संख्या का विवरण	58-59
IX	वर्ष 1979-80 के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त, अंशदान एवम् दी गई सहायता-राशि का विवरण	60-62
X	वर्ष 1972-73 से 1979-80 के दौरान प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न स्तर के पुस्तकालयों की संख्या का विवरण	63-64

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

आठवाँ वार्षिक विवरण

1979 — 80

I परिचय

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना राजा राममोहन राय के द्विशती जन्म-जयन्ती समारोह के अवसर पर सन् 1972 में की गई। इस प्रतिष्ठान का प्रायोजन एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया गया और यह पश्चिम बंगाल संस्था पंजीकरण अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है। इस प्रतिष्ठान की वित्त-व्यवस्था भारत सरकार के शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय के संस्कृति विभाग द्वारा की जाती है। जिन उद्देश्यों को लेकर प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है, उनका विवरण इसकी संस्था-ज्ञापिका में उपलब्ध है। फिर भी प्रतिष्ठान का मूल उद्देश्य देश में पुस्तकालय आनंदोलन को बढ़ावा देना और विशेषकर गैर महानगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अध्ययन-रुचि को विकसित करना है। प्रतिष्ठान राज्य सरकारों तथा संघ-शासित क्षेत्रों के पुस्तकालय अधिकारियों के सहयोग से कार्य करता है।

II अवस्थिति

प्रतिष्ठान का कार्यालय 110, जोधपुर पार्क, कलकत्ता-700 068 में एक किराये के भवन में स्थित है। वर्तमान स्थान कार्यालय की बढ़ती

हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रतिष्ठान के कार्यालय हेतु एक उपयुक्त एवं स्थायी आवास की व्यवस्था के लिए प्रयास जारी है।

III प्रतिष्ठान का गठन

प्रतिष्ठान के निम्नलिखित वाईस सदस्य हैं

- भारत सरकार के केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति, जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है;
- सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति;
- भारत सरकार द्वारा मनोनीत तेरह व्यक्ति जिनमें चार विख्यात पुस्तकालयाध्यक्ष एवं नौ शिक्षाविद होते हैं;
- निम्नलिखित संगठनों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि—
 - अ— भारतीय पुस्तकालय संघ,
 - ब— साहित्य अकादमी, तथा
 - स— राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (भारत),
- भारत सरकार द्वारा मनोनित तीन व्यक्ति जो क्रमशः शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं;
- सदस्य-सचिव।

नियमों के अनुसार, प्रतिष्ठान के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष की होती है तथा प्रथम बैठक की तिथि से उस अवधि का प्रारम्भ माना जाता है। प्रतिष्ठान का पुनर्गठन सितम्बर 1978 में हुआ लेकिन पुनर्गठित निकाय की प्रथम बैठक 6 नवम्बर 1978 को हुई। इस वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान की 2 बैठकें हुईं: चतुर्थ आम साधारण सभा की बैठक 12 जून 1979 को तथा षष्ठ्वार्षिक साधारण सभा की बैठक 12 अक्टूबर 1979, को हुई।

(प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची परिशिष्ट I में दी गई है)

IV प्रशासनिक समिति

एक प्रशासनिक समिति कार्यों के सम्पादन में प्रतिष्ठान की सहायता करती है। इसमें पदेन सदस्यों यथा, अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि, तथा सदस्य सचिव को मिलाकर ग्यारह सदस्य होते हैं। इस समिति का पुनर्गठन 12 अक्टूबर 1979 को प्रतिष्ठान द्वारा किया गया। प्रशासनिक समिति प्रतिष्ठान के वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों की देख-भाल करती है। इसकी दो बैठकें क्रमशः 12 जून, 1979 तथा 12, अक्टूबर, 1979 को हुईं।

(प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची II परिशिष्ट में दी गई है)

V राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ

प्रतिष्ठान के अनुरोध पर अधिकतर राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने अपने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य पुस्तकालय योजना समितियों का गठन किया है। विभिन्न राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के संयोजक अपने-अपने राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों की अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। प्रतिष्ठान इनके माध्यम से ही राज्यों में कार्य करता है। ये समितियाँ न केवल राज्य में पुस्तकालय सेवाओं के प्रसार तथा विकास के लिए योजना बनाती हैं बल्कि प्रतिष्ठान द्वारा अपनाये गये विभिन्न सहायता-योजनाओं का कार्यान्वयन तथा निरीक्षण भी करती हैं।

प्रत्येक राज्य पुस्तकालय योजना समिति में सामान्यतः सात से नौ सदस्य होते हैं। राज्य की पुस्तकालय सेवाओं का प्रभारी अधिकारी अथवा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष इस समिति का संयोजक होता है। राज्य पुस्तकालय योजना समिति में राज्य पुस्तकालय संघ के एक प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्यों के साथ एक या दो ऐसे शिक्षाविदों का भी समावेश होना चाहिए जो क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य के ज्ञाता हों। साथ ही इस समिति में प्रौढ़ शिक्षा विभाग/निदेशालय का एक प्रतिनिधि भी होना चाहिए ताकि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के साथ ताल-मेल बना रहे। प्रतिष्ठान का

सदस्य-सचिव प्रत्येक राज्य पुस्तकालय योजना समिति का पदेन सदस्य होता है।

राज्य पुस्तकालय योजना समिति का गठन, निम्नलिखित अपवादों को छोड़ कर, सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में हो चुका है :

1 - मध्य प्रदेश, 2-राजस्थान, 3-हरियाणा,

4 - जम्मू और काश्मीर, 5-अरुणांचल प्रदेश, 6-दिल्ली;

7 - पाञ्जाब तथा 8-लक्ष्मीपुर।

इन राज्यों में पुस्तकालय सेवाओं के प्रभारी अधिकारी, संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

(राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची परिशिष्ट III में दी गई है)

VI कर्मचारी तथा कार्यालय :

अध्यक्ष :

प्रोफेसर भवतोष दत्त, 7 नवम्बर, 1979 तक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रहे। उनके पद-त्याग के बाद भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मन्त्री ने प्रोफेसर आर० के० दासगुप्ता को तीन वर्षों के लिए प्रतिष्ठान का अध्यक्ष मनोनीत किया। प्रो० दासगुप्ता ने 8 नवम्बर, 1979 को पद का कार्य-भार सम्भाला।

सदस्य सचिव :

डॉ० बी० पी॒ बर्हारा, अक्टूबर, 1977 से कार्यवाहक सदस्य-सचिव के रूपमें कार्य कर रहे थे, को भारत सरकार के अनुमोदनोपरांत 6 जुलाई, 1979 को स्थायी रूप से इस पद पर नियुक्त किया गया।

अन्य :

श्री आर० गुप्ता शर्मा के उनके मूल विभाग में परावर्तन के बाद पूर्वी रेलवे लेखा-परीक्षा के लेखा-परीक्षा अधिकारी श्री एस० के० बसु को, 1 सितम्बर, 1979 को कार्यकारी अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया। डॉ० पाण्डेय सूरजकान्त शर्मा ने 25 अक्टूबर, 1979 को क्षेत्र पदाधिकारी का पद संभाला। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान सहायक सचिव, उच्च श्रेणी लिपिक तथा कनिष्ठ लिपिक के तीन नये पदों का प्रावधान किया गया। सम्प्रति कुल कर्मचारियों की संख्या 24 तक पहुँच गई है जिसमें एक अंशकालिक जमादार भी सम्मिलित है।

(प्रतिष्ठान की संगठन-सारिणी परिशिष्ट IV में दी गई है)

VII वित्त-व्यवस्था

प्रतिष्ठान की सम्पूर्ण वित्त-व्यवस्था भारत सरकार करती है जो प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों से सम्बन्धित, वर्ष-विशेष के लिए नियोजित गतिविधियों एवम् उन पर होने वाले अनुमानित व्यय के आधार पर प्रतिष्ठान को वासिक अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान को राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान भी प्राप्त होता है। केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के वेतन आदि तथा कार्यालय के खर्च को बहन करने के लिए गैर-योजना तथा विविध विकासशील गतिविधियों के लिए योजना कोष से अनुदान देती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने प्रतिष्ठान को 23.55 लाख रुपयों का अनुदान दिया जिसमें 20 लाख रुपये योजना तथा 3.55 लाख गैर योजना कोष के अधीन प्राप्त हुए। राज्य सरकारें तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन भी समतुल्य निधि की प्राप्ति के लिए प्रतिष्ठान को अंशदान देते हैं। इस वर्ष के दौरान राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों से प्रतिष्ठान को 19.08 लाख रुपयों का

अंशदान प्राप्त हुआ जो प्रतिष्ठान के लिए इस दिशा में एक कीर्तिमान है।
 (वर्ष 1979-80 के दौरान प्राप्त अनुदान तथा अंशदान के लेखा जोखा
 का लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय कलकत्ता द्वारा प्रतीक्षित एवं प्रमाणित
 विवरण परिशिष्ट V में दिया गया है)

VIII नियम तथा विनियम

प्रतिष्ठान का संविधान इसकी “संस्था जापिका एवं नियमों” में दिया
 गया है। कर्मचारियों के अधिकारों का प्रत्यायोजन, कार्यविधि तथा नौकरी
 की शर्तों को सेवा विनियमों के अन्तर्गत नियमित किया जाता है। अंशदायी
 भविष्य निधि योजना को 1975 में लागू किया गया। गत वर्ष प्रतिष्ठान
 ने आनुतोषिक नियमों को अपनाया; जिसका सरकारी अनुमोदन प्रतीक्षित
 है। जो मामले उपरिलिखित नियमों तथा विनियमों के अधीन नहीं आते
 उनको प्रतिष्ठान की प्रशासनिक समिति निर्णीत करती है। वर्ष 1979-80
 में प्रशासनिक समिति ने “पुस्तकों के संचयन के लिए सहायता योजना”
 के नियमों को अपनाया है।

IX सहायता-कार्यक्रम :

मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर प्रतिष्ठान ने निम्नलिखित सहायता-
 योजनाओं को लागू किया है :

(अ) पुस्तकों तथा अव्य-दृश्य सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार
 बनाने हेतु सहायता।

(ब) ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्रों तथा चल पुस्तकालय सेवाओं के
 विकास हेतु सहायता।

(स) दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं पाण्डुलिपियों की जिल्दसाजी
 एवं परिरक्षण हेतु सहायता।

(द) संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, पुस्तक प्रदर्शनियों
 आदि के आयोजन हेतु सहायता।

(ह) पुस्तकों के संचयन हेतु सहायता ।

(अ) पुस्तकों तथा श्रव्य एवं दृश्य सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने हेतु सहायता

किसी भी पुस्तकालय की गुणवत्ता उस पुस्तकालय के पुस्तक भण्डार की सम्पन्नता तथा उससे लाभान्वित होने वाले पाठकों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि समय-समय पर पुस्तक भण्डार का नवीकरण न किया जाय तो पुस्तकालय अपनी उपयोगिता खो बैठता है। लेकिन पुस्तकालयों की घटती हुई वित्त-व्यवस्था और पुस्तकों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण पुस्तकालयों के लिए पाठकों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करना कठिन हो जाता है। कुछ राज्यों को अपवाद मान लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि विभिन्न स्रोतों से जितने अर्थ की व्यवस्था हो पाती है वह सब कर्मचारियों के वेतनादि में ही खर्च हो जाता है। इसलिए प्रतिष्ठान ने इस प्रमुख योजना को जारी रखने का निश्चय किया है जिससे पुस्तकालय अपने पुस्तक भण्डार को सुदृढ़ बना सकें।

पुस्तकालयों के संगठनात्मक ढाँचे और पाठकों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, इस योजना का उप-विभाजन तीन भागों में किया गया है।

(क) राज्य तथा जिला पुस्तकालयों को सहायता ।

(ख) नगरीय तथा ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता ।

(ग) केन्द्रीय रूप में प्रायोजित पुस्तकालयों को सहायता ।

उपरिलिखित (क) तथा (ख) श्रेणी के लिए पुस्तकालय सूची तथा पुस्तक सूची तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य पुस्तकालय योजना समिति पर है। पुस्तकों के चयन के लिए प्रतिष्ठान एक सामान्य निर्देश देता है कि २५ प्रतिशत पुस्तकों का चयन बाल-साहित्य तथा नवसाक्षर-साहित्य से होना चाहिए। फिर भी स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान

में रखते हुए ये समितियाँ साधारणतया अपने प्रतिमानों का प्रयोग करने के लिए स्वतन्त्र हैं। राज्य अधिकारियों से यह भी आग्रह किया जाता है कि राज्य की धेत्रीय भाषा के अतिरिक्त अन्य धेत्रीय भाषाओं की कुछ पुस्तकों का चयन करें जिससे राष्ट्रीय एकता का भाव बना रहे तथा अल्प-संख्यक भाषा-भाषियों को भी कुछ लाभ पहुंचे। विभिन्न राज्यों के लिए उपलब्ध वित्त को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठान इस प्रकार की सूची को अनुमोदित करता है।

सूची के अनुमोदन के पश्चात् प्रतिष्ठान सम्बन्धित राज्य के अधिकारियों से पुस्तकों के क्रय तथा वितरण के लिए अनुरोध करता है। कुछ राज्यों जैसे आनंद प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम तथा त्रिपुरा ने पुस्तकों के क्रय तथा वितरण के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया है। अन्य प्रदेशों ने इस सम्बन्ध में अपनी अनिच्छा प्रकट की हैं क्योंकि उनके पास पुस्तकों की आपूर्ति का आदेश देने तथा प्रकाशनादि के बिलों का निरीक्षण करने हेतु पर्याप्त साधन नहीं हैं। अतः प्रतिष्ठान अन्य राज्यों तथा संघ शासित धेत्रों के लिए यह कार्य कर रहा है। प्रथमोक्त कोटि के राज्यों से सम्बन्धित बिलों का भुगतान आदेश की प्रतियाँ तथा संयोजकों द्वारा प्रमाणित बिल की प्राप्ति पर किया जाता है। प्रकाशकादि को ७५ प्रतिशत भुगतान पुस्तकें भेजे जाने के प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर पर तथा शेष २५ प्रतिशत भुगतान प्राप्तकर्त्ता पुस्तकालयों से पुस्तक प्राप्ति की पावती भेजे जाने के बाद किया जाता है।

राज्य पुस्तकालय योजना समितियों द्वारा तो पुस्तकों का चयन किया ही जाता है, इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान की प्रशासनिक समिति भी देश के राज्य तथा जिला पुस्तकालय को वितरण हेतु कुछ पुस्तकें, जो मुख्यतया अंगरेजी में होती हैं, का केन्द्रीय-चयन करती है। जहाँ तक केन्द्र पोषित पुस्तकालयों को सहायता देने तथा केन्द्रीय एवं जिला पुस्तकालयों को केन्द्रीय

चयन के माध्यम से सहायता देने का प्रश्न है, इन दोनों ही स्थितियों में प्रतिष्ठान ही पुस्तकों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है।

(क) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को सहायता :—

सिविकम तथा लक्षद्वीप को छोड़कर लगभग समस्त राज्यों तथा संघ-शासित प्रदेशों में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित हो चुके हैं। दिल्ली में पुस्तकालय सेवा दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय (दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी) द्वारा सुलभ है। तमिलनाडु का राज्य पुस्तकालय, जिसे “कानेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय” के नाम से भी जाना जाता है, को “डिलीवरी आफ बुक्स एक्ट” के अन्तर्गत पुस्तकों प्राप्त हैं। कतिपय राज्यों यथा, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में क्षेत्रीय पुस्तकालय भी हैं। जिला पुस्तकालयों की स्थापना अनेक प्रदेशों में हो चुकी हैं। कुछ राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय सम्बन्धित जिलों में जिला पुस्तकालय के रूप में कार्य करते हैं। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय सामान्यतया सरकारी पुस्तकालय होते हैं। फिर भी गुजरात का गुजरात विद्यापीठ, बिहार का सिन्हा पुस्तकालय, तथा मध्यप्रदेश का मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय इसके उल्लेखनीय अपवाद हैं। इसी प्रकार कुछ जिला पुस्तकालय सरकारी हैं तथा कुछ सहायता प्राप्त हैं। कुछ राज्यों में उपमण्डलीय स्तर के पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए जिला स्तरीय पुस्तकालयों के समकक्ष माने गये हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 27 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं 382 जिला पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की है तथा उन्हें 3.95 लाख रुपये की पुस्तकें भेजी गईं। इसमें से .57 लाख की पुस्तकों की सहायता केन्द्रीय रूप से चयित पुस्तकों द्वारा दी गई।

(ख) नगरीय एवं ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता :—

जिला स्तर के नीचे के पुस्तकालयों का संगठनात्मक ढाँचा समस्त राज्यों में समरूप नहीं है। ये पुस्तकालय बहुधा प्रशासनिक एकक के रूप में भी

कार्य नहीं कर रहे। साधारणतया दक्षिण में उन्हें शाखा पुस्तकालय, पश्चिम में ताल्लुक पुस्तकालय, उत्तर में तहसील पुस्तकालय तथा पूर्व में उप-मण्डलीय पुस्तकालय कहा जाता है। इसके नीचे स्तर पर प्रखण्ड, नगर पालिका, नगर एवं ग्रामीण पुस्तकालय आते हैं। इनमें से बहुत से पुस्तकालय गैर सरकारी पुस्तकालय हैं जो पंजीकृत अथवा अपंजीकृत स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा संचालित किये जाते हैं। अनुदान देने के उद्देश्य से पुस्तकालयों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। चूंकि प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य नगरों एवं ग्रामों तक पुस्तकालय सेवा को पहुँचाना है, इस प्रकार के लघु पुस्तकालयों की सहायता पर अधिक बल दिया जाता है। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान के 5137 (पांच हजार एक सौ सैंतीस) नगरीय तथा ग्रामीण पुस्तकालयों की सहायता कर इन्हें 26.22 लाख रुपमे मूल्य की पुस्तकों की आपूर्ति की।

(ग) केन्द्र-पोषित पुस्तकालयों को सहायता :—

निम्नलिखित संगठनों को प्रतिष्ठान सीधे सहायता देता है।

- 1—नेहरू युवक केन्द्र, जो शिक्षा विभाग के युव-सेवा संभाग द्वारा स्थापित किये गये हैं;
- 2—जवाहर बाल भवन, जो भारत के बाल भवन समाज द्वारा सम्पोषित है; तथा
- 3—अरविन्द बाल केन्द्र जिन्हें महानगरों की गन्दी बस्तियों एवं झोपड़ पट्टियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा-दीक्षा के लिए समाज कल्याण विभाग ने गठित किया है।

इन संगठनों को किसी राज्य के माध्यम से समतुल्य अंशदान की योजना के अन्तर्गत सहायता नहीं दी जाती, अपितु इसे प्रतिष्ठान 100 प्रतिशत आधार पर प्रत्यक्ष रूप से सहायता देता है। इसीलिए इन्हें केन्द्र पोषित

पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अन्य विख्यात स्वैच्छिक संस्थाओं को भी सहायता दी जाती है, बशर्ते वे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं एतदर्थं अनुमोदित हों। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 23 नेहरू युवक केन्द्रों, 10 बाल भवनों तथा बाल केन्द्रों को सहायता प्रदान की है।

ब—ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्रों तथा चल पुस्तकालय के विकास हेतु सहायता

केवल अचल पुस्तकालयों को सहायता देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि पुस्तकालय सेवाओं से गाँवों और छोटे शहरों में रहने वाले बहुसंख्यक श्रद्धशिक्षितों तथा नव-साक्षरों को भी लाभान्वित करना है तो इस प्रकार के उपाय करने होंगे जिनके द्वारा सरल भाषा एवं शैली में लिखी गई सामान्य विषय और अभिरुचि की पुस्तकों को उनके द्वार पर पहुंचाया जा सके। समाज कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियों में लीन सभी सुस्थापित पुस्तकालयों तथा ख्यातिप्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत किताबें, साईकिलें, रिक्षे, बक्सों, थैलों आदि के रूप में सहायता दी जाती है। सहायता प्राप्त संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि उन ग्रामीण थेट्रों जहाँ अभी तक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई है, में परिवहन के स्तरे साधनों अथवा स्वयंसेवकों के द्वारा वे एक वितरण केन्द्र से दूसरे वितरण केन्द्र तक पुस्तकों का आदान-प्रदान करते रहेंगे। जिन गाँवों में पुस्तकालय सेवा नहीं उपलब्ध है, वहाँ पुस्तक वितरण केन्द्रों की स्थापना की जा सकता है। यदि गाँव में इस प्रकार की पुस्तकालय सेवा पहुंच गई हो तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने में संलग्न कार्यकर्ताओं एवं संगठनों के सहयोग से प्रत्येक द्वार पर पुस्तकालय सेवा का संगठन किया जा सकता है।

इस वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने केरल के 50 पुस्तकालयों को साईकिलें

खरीदने के लिए सहायता प्रदान की। विष्वभारती विश्वविद्यालय को भी 5 ग्रामीण पुस्तकालयों के लिए यह सहायता प्रदान की गई है।

स—दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवम् पाण्डुलिपियों की जिल्दसाजी तथा परिरक्षण हेतु सहायता

प्रतिष्ठान ने इस योजना को 1975-76 में अपनाया। इस योजना का उद्देश्य देश के पूराने एवम् सुस्थापित पुस्तकालयों को दुर्लभ पुस्तकों पत्रिकाओं तथा पाण्डुलिपियों की वायु-शुद्धिकरण, परतबंदी, मरम्मत, जिल्द साजी तथा परिरक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रतिष्ठान ऐसी दुर्लभ पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों को कुछ ऐसे चुने हुए पुस्तकालयों द्वारा संकलित एवं पररक्षित करने की अनुशंसा करता है जिनमें इनके संरक्षण की सुविधायें उपलब्ध हों। फिर भी कुछ पुस्तकालय अपनी सम्पदा से वंचित रहना पसन्द नहीं करते अतः विभिन्न राज्य के अधिकारियों की सिफारिश पर बहुत से सार्वजनिक पुस्तकालयों को इस योजना के अन्तर्गत सहायता देने की आवश्यकता है। वर्ष 1979-80 के दौरान प्रतिष्ठान ने 53 पुस्तकालयों को 0.63 लाख रुपये की सहायता प्रदान की। अभी तक इस उद्देश्य के लिए 170 पुस्तकालयों पर 7.55 लाख रुपयों का व्यय हो चुका है।

(वर्ष 1979-80 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायताप्राप्त पुस्तकालयों की सूची परिशिष्ट VI में दी गई है)

द—संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, पुस्तक प्रदर्शनियों आदि के आयोजन हेतु सहायता :—

इस योजना का उद्देश्य सेवारत पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण देना तथा पुस्तकालयों एवम् पुस्तकों के प्रति जन-जागरण लाना है। इस योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष के दौरान भारतीय पुस्तकालय संघ को

निम्नलिखित संगोष्ठियों आदि के आयोजन हेतु सहायता राशि दी गईः
क—‘बाल पुस्तकालयों पर’ 13-.5 नवम्बर 1979 को दिल्ली में एक
सेमिनार का आयोजन करने के लिए :

ब—6-9 मार्च, 1980 के दौरान, नई दिल्ली में XXVI अखिल भारतीय
पुस्तकालय सम्मेलन तथा एक विचार-गोष्ठी का आयोजन करने के लिए
जिसका विषय “‘पुस्तकों के बढ़ते हुए मूल्यों का पुस्तकालयों के विकास
पर प्रभाव’” था; तथा

ग—इलाहाबाद में 20-21 अप्रैल 1980 के दौरान “शाच्य पुस्तकालयों
का राष्ट्रीय सम्मेलन” के आयोजन करने हेतु ।

एक अन्य अखिल भारतीय स्तर की समिति जिसका नाम “इण्डियन
एसोसियेशन आफ स्पेशल लाइब्रेरिज एण्ड इन्फार्मेशन सेण्टर्स” है, को उनके
12 वें अखिल भारतीय सम्मेलन के 26 दिसम्बर से 29 दिसम्बर तक रुड़की
में आयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई। इस सम्मेलन में दो संगोष्ठियों
का आयोजन किया गया जिनके विषय थे— 1-राष्ट्रीय सूचना एवं पुस्तकालय
भीति, तथा 2-पुस्तकालय तथा सूचना प्रणालियों में प्रबन्धकीय तकनीकों
का उपयोग ।

शाखा पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए पुनर्शर्चर्या पाठ्यक्रम
(रेफे शर कोर्स) को आयोजन के लिए, आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद, विशाखा-
पट्टनम्, तिरुपति, तथा गुंडुर नामक चार जिलों के, पुस्तकालय अधिकारियों
को सहायता प्रदान की गई। कुल मिला कर 390 पुस्तकालयाध्यक्षों ने इस
योजना के अन्तर्गत लघु-पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस योजना को
बहुत प्रोत्साहन मिला और यह इतनी लाभकारी सिद्ध हुई कि आन्ध्र प्रदेश
सरकार ने आगामी दो या तीन वर्षों में शेष बचे हुए जिलों में भी इस योजना
को लागू करने के निश्चय की सूचना दी है।

आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में अधिक से अधिक राज्य इस
योजना से लाभान्वित होने के लिए आगे आयेंगे ।

ह—पुस्तकों के संचयन हेतु सहायता :—

यह एक नवीन योजना है। इसे 1979-80 वर्ष में शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जिला स्तर से नीचे के लघु पुस्तकालयों को, प्रतिष्ठान द्वारा भेजी गई पुस्तकों की बढ़ती हुई संख्या को सुविधापूर्वक रखने तथा प्रदर्शित करने के लिए सहायता देना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठान राज्य सरकार की सिफारिश पर प्रति पुस्तकालय अधिकतम दो आलमारियों/रेकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देता है। इस वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य के 50 पुस्तकालयों को इस कार्य हेतु सहायता प्रदान की गई।

(विभिन्न योजनाओं के अधीन जिन-जिन पुस्तकालयों को सहायता दी गई उनकी सूची परिषिष्ट VII में दी गई है)।

समस्यायें तथा अड़चनें .—

आलोच्य वर्ष के दौरान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रतिष्ठान को विभिन्न समस्याओं तथा अड़चनों का सामना करना पड़ा। एक और कुछ राज्यों द्वारा सहायता-प्रस्ताव विलम्ब से भेजे गये तो दूसरी ओर कुछ राज्यों से इस वर्ष के दौरान अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त ही नहीं हुए। इसके फलस्वरूप इन राज्यों से प्राप्त एवं इनके लिए अलग रखी गयी निधि का उपयोग नहीं हो पाया और इस प्रकार वर्ष के अन्त में बहुत सारा धन बचा रह गया।

सहायता प्राप्त पुस्तकालय समूह के लिए पुस्तकों की थोक खरीद पुस्तकालय सेवा का सबल सिद्धान्त है। क्योंकि इसके फलस्वरूप खरीद में मितव्ययिता आती है और साथ ही साथ उत्तम साहित्य के प्रकाशन को बढ़ावा मिलता है। अतः राज्य के अधिकारियों से प्रतिष्ठान का यह अनुरोध है कि वे विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की सामूहिक सूची तैयार करें। यह प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के अनुरूप भी है एवं प्रशासनिक

दृष्टि से मुविधाजनक भी। लेकिन यह कार्यविधि कुछ पुस्तकालयों को पसन्द नहीं। उनका तर्क यह है कि जो पुस्तकों के निर्माण चयन द्वारा दी जाती है उनसे ऐसी पुस्तकों के भण्डार का निर्माण हो जाता है जिनकी आवश्यकता न तो पुस्तकालय को और न ही उसके पाठकों को होती है। वस्तुतः एक राज्य की सरकार से प्रतिष्ठान को कुछ ऐसे पत्र भी प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि अनुदान राशि उनको भेज दी जाय ताकि सभी पुस्तकालयों में वे उसका वितरण कर सकें। स्पष्टरूप से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

दूसरी ओर किताबों की थोक खरीद की योजना से सम्भवतः प्रकाशकों के एक वर्ग के बाच अपनी किताबों के मूल्य में असामान्य रूप से वृद्धि करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। प्रतिष्ठान को प्रकाशकों से प्रायः ऐसे पत्र मिलते रहते हैं जिनमें वे चयन की हुई पुस्तकों की कीमते बढ़ाने के लिए अनुरोध करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उत्पादन मूल्य में वृद्धि हो गई होती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये प्रतिष्ठान ने राज्य अधिकारियों से अनुरोध किया है कि किसी भी पुस्तक का चयन करने से पहले वे उसकी भौतिक जांच कर उसके गुणवत्ता एवं मूल्य की पड़ताल कर लें।

प्रतिष्ठान द्वारा पुस्तकों की खरीदी जाने वाली प्रतियों की संख्या पर आधारित एक श्रेणीकृत कटौती के अनुसार पुस्तकों का क्रय किया जाता है। मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रशासनिक समिति ने इस कटौती के श्रेणीकृत दर को अनुमोदित किया है। यद्यपि यह नियम सामान्य रूप से कारगर रहा है, पर यह गुजरात के प्रकरण में कारगर नहीं रहा। गुजरात के प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं ने इस अनुमोदित कटौती की दर पर पुस्तकों की आपूर्ति अस्वीकार कर दी।

इस वर्ष के दौरान भी विभिन्न पुस्तकालयों से प्रकाशकों द्वारा व्रेषित पुस्तकों की पावती न मिलने की समस्या बन रही। फिर भी यह समस्या

थोड़ी कम हो गई है क्योंकि प्रतिष्ठान ने राज्य अधिकारियों से इस बात का अनुरोध किया है कि विभिन्न पुस्तकालयों में वितरण हेतु पुस्तकों को वे एक स्थान पर प्राप्त करने की व्यवस्था करें। अधिकांश राज्यों ने इस हेतु अपनी सहमति दे दी है। प्रशासनिक समिति ने पिछले भुगतानों के सम्बन्ध में कुछ विशेष कार्य विधि अपनाई है जिसके ऊपर वर्तमान वर्ष में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रतिष्ठान कुछ सुस्थापित पुस्तकालयों को दुर्लभ पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों की जिल्दसाजी तथा संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस राशि के समुचित उपयोग को जानने के लिए प्रतिष्ठान इस प्रकार के पुस्तकों आदि की सूची मंगवाता है। सूचियों के निरीक्षण के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से न्यूनाधिक पुस्तकों को दुर्लभ नहीं माना जा सकता। चौंकि विभिन्न पुस्तकालय अपनी पुरानी पुस्तकों की जिल्दसाजी के लिए अन्य योजना के अन्तर्गत राशि नहीं पाते, अतः इस योजना के अन्तर्गत अनुदान पाने के शर्तों में योड़ी ढील देनी आवश्यक है।

अन्त में, वर्ष के दौरान, प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विभिन्न राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों के लगातार परिवर्तन के कारण भी कुछ रुकावटें आईं।

X अन्य गतिविधियाँ :—

राजा राममोहन राय की 207वीं जन्म-जयन्ती समारोह एवं प्रतिष्ठानके सातवें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन

प्रतिष्ठान ने राजा राममोहन राय की 207वीं जन्म-जयन्ती समारोह एवं प्रतिष्ठान का 7वां स्थापना दिवस समारोह 22 मई 1979 को मनाया। प्रो॰ आर॰ के॰ दास गुप्ता, निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ने समारोह की अध्यक्षता की। प्रो॰ दिलीप कुमार विश्वास ने राजा राममोहन राय

किया तथा कलकत्ता के आस-पास के कुछ सार्वजनिक पुस्तकालयों में उनके दौरे का भी प्रबन्ध किया। 22 मार्च, 1980 को एक बैठक भी आयोजित की गयी जिसमें श्री हृष्टुज ने “व्रिटेन में सार्वजनिक पुस्तकालय-व्यवस्था” के ऊपर भाषण दिया।

11—दौरे तथा सम्पर्क

सदस्य सचिव :

डा० वी० पी० बरुआ, सदस्य सचिव, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, पश्चिमी बंगाल राज्य पुस्तकालय योजना समिति के साथ उस समय सम्बद्ध थे जब यह समिति “पश्चिमी बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय विभेदक” का मसौदा तैयार कर रही थी। शाखा पुस्तकालयाध्यक्षों के रिफैशर पाठ्यक्रम में विदाई भाषण देने के हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आपको आमन्त्रित किया तथा आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के उद्घाटन में आपने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

क्षेत्र पदाधिकारी :

डा० पाण्डेय एस० के० शर्मा, क्षेत्र-पदाधिकारी राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान ने इस वर्ष के दौरान विभिन्न उद्देश्यों, यथा-राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित करने एवं अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों के निरीक्षण हेतु दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उन्नर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के दौरे किये। अपने मध्य प्रदेश तथा गुजरात के दौरे के दौरान इन्होंने राज्य के पुस्तकालय अधिकारियों द्वारा आयोजित बैठकों में पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों एवं पुस्तकालय संघ के प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया।

इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में भी भाग लिया तथा प्रतिनिधियों को प्रतिष्ठान की योजनाओं तथा उपलब्धियों से अवगत कराया।

12—उपलब्धियाँ :—

देश के समस्त भागों में पुस्तकालय आनंदोलन को बढ़ावा देने जैसे महत्तर उद्देश्य की दिशा में प्रतिष्ठान ने एक और चरण पूरा किया। अपने स्थापना वर्ष 1972 से मार्च 1980 तक प्रतिष्ठान ने 237.65 लाख रुपये की राशि प्राप्त की जिसमें 137.30 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुए तथा 100.35 लाख विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए। इस वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने विभिन्न पुस्तकालयों को 31.89 लाख रुपयों की सहायता दी अतः सहायतार्थी दी गई राशि अब 2.07 करोड़ तक पहुंच गई है।

(प्रतिष्ठान को उपलब्ध राशि तथा विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को दी गई अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट IX में दिया गया है)

पिछले आठ वर्ष की अवधि में प्रतिष्ठान ने लगभग विभिन्न स्तरों में 11 हजार से अधिक पुस्तकालयों को सहायता दी है। विवरण यों है :—

राज्य पुस्तकालय	27
जिला पुस्तकालय	403
नेहरू युवक केन्द्र	135
बाल भवन तथा बाल केन्द्र	41
नगरीय तथा ग्रामीण पुस्तकालय	10,243
चल पुस्तकालय तथा ग्रामीण पुस्तक केन्द्र	330
स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा नियन्त्रित पुस्तकालय, एन. एस. एस., तथा अन्य	<hr/> 209
कुलयोग	11,388

पुस्तकालयों की कोटिपरक संख्या तथा जिन्हें वर्ष 1972-73 से 1979-80 तक विभिन्न स्तरों पर सहायता प्रदान की गई उनका कोटि परक विवरण परिशिष्ट X पर दिया गया है।

प्रतिष्ठान पुस्तकालय सेवा को छोटे नगरों एवं गाँवों तक पहुंचाने के कठिन कार्यक्रम में लीन है ताकि जन साधारण में पठन-रुचि को बढ़ावा मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति अन्य तत्त्वों पर भी निर्भर करती है, यथा-देश में साक्षरता तथा प्राथमिक शिक्षा एवं सामान्य पाठकों के लिए उपयुक्त साहित्य की कमी तथा गाँवों का आर्थिक पिछड़ापन भी अन्य व्यापक कारण हैं। इन सीमाओं तथा तनावों के बावजूद भी प्रतिष्ठान नियमित रूप से आगे बढ़ता जा रहा है।



परिशिष्ट

प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची

1. (1) डा० भवतोष दत्त
अध्यक्ष
(नवम्बर 7, 1979 तक)
2. (2) प्रो० आर० के० दासगुप्त
अध्यक्ष
(नवम्बर 8, 1979 से)
3. श्री सरण सिंह
सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय,
नई दिल्ली ।
4. श्री मीर नसरुल्लाह,
अपर सचिव,
संस्कृति विभाग,
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय,
नई दिल्ली ।
5. श्री अनिल बोदिया,
संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग,
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय,
नई दिल्ली ।

६. श्री जे० के० कल्याणाकृष्णणा,
वित्तीय सलाहकार,
समाकलित वित्त खण्ड,
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय,
नई दिल्ली ।

७. श्री ए० एल० डायस,
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (भारत)
ए-५, ग्रीन पार्क,
नई दिल्ली ।

८. डॉ आर० एस० केलकर,
सचिव,
साहित्य अकादमी,
रवीन्द्र भवन,
फिरोजशाह रोड,
नई दिल्ली ।

९. श्री वी० एल० भारद्वाज
प्रधान,
भारतीय पुस्तकालय संघ,
एल-१८, कालकाजी,
नई दिल्ली ।

१०. श्री पी० एन० पनिकर,
केरल अनौपचारिक शिक्षा एवं विकास संघ
विवेन्द्रम ।

११. श्री जावर हुसेन

१०, बाटर टावर रोड,
पटना ।

१२. कुमारी लता पतंकर

वरिष्ठ प्राध्यापिका,
मूलजी जेता कालेज,
जलगांव,
महाराष्ट्र ।

१३. सिस्टर हैलन विनसेंट

प्रधानाचार्या,
स्टेलामेरिस महाविद्यालय,
मद्रास ।

१४. श्रीमती साधना सरकार

प्रधानाचार्या,
राजा राममोहन महाविद्यालय
कलकत्ता-९ ।

१५. प्र० विधुभूषण दास

निदेशक, लोक शिक्षा,
भुवनेश्वर ।

१६. प्र० ए० के० जलालुद्दीन

निदेशक,
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय,
नई दिल्ली ।

17. प्रो० एस० मकवूल अहमद
कश्मीर विश्वविद्यालय,
श्रीनगर-१९०००६ ।
18. प्रो० आर० के० दासगुप्ता
निदेशक,
राष्ट्रीय पुस्तकालय,
कलकत्ता ।
19. श्री जे० सी० मेहता
निदेशक,
दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय,
दिल्ली ।
20. श्री एन० डी० बागड़ी
अध्यक्ष तथा राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष
सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग,
कर्णटिक सरकार,
बंगलोर ।
21. श्री बी० एन० तिवारी
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय
इलाहाबाद ।
22. श्री राम गोस्वामी
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
गौहाटी,
आसाम ।
23. डा० बी०पी० बरुआ
सदस्य सचिव,
राजा राममोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
कलकत्ता ।



प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची

- | | |
|--|--|
| <p>1. डा० भवतोष दत्त</p> <p>2. प्रो० आर० के० दासगुप्ता</p> <p>3. श्री० जे० ए० कल्याणकृष्णार्णा,
वित्तीय सलाहकार,
समाकलित वित्त खण्ड,
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय,
नई दिल्ली।</p> <p>4. अवर सचिव (पुस्तकालय)
संस्कृति विभाग,
शिक्षा तथा संस्कृति विभाग,
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।</p> <p>5. प्रो० आर० के० दासगुप्ता
निदेशक
राष्ट्रीय पुस्तकालय,
कलकत्ता ২৭।</p> | <p>अध्यक्ष
(नवम्बर 7, 1979 तक)</p> <p>अध्यक्ष
(नवम्बर 8, 1979 से)</p> <p>(नवम्बर 7, 1979 तक)</p> |
|--|--|

6. प्रो० ए० के० जलालुद्दीन
निदेशक
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय,
नई दिल्ली ।
7. प्रो० विघुभूषण दास
जन शिक्षा निदेशक,
उडीसा सरकार,
भुवनेश्वर ।
8. श्रीमती साधना सरकार
प्राचार्या,
राजा राममोहन महाविद्यालय,
कलकत्ता-९
9. श्री जे० सी० मेहता
निदेशक
दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय,
दिल्ली ।
10. श्री बी० एल० भारद्वाज,
अध्यक्ष
भारतीय पुस्तकालय संघ,
नई दिल्ली ।
11. श्री एन० डी० बागड़ी
राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अध्यक्ष,
सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग,
कर्नाटक सरकार,
बंगलोर ।
12. डा० बी०पी० बरुआ
सदस्य सचिव,
राजा राममोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
कलकत्ता ।

राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची

1. आनंद्र प्रदेश

निदेशक,
सार्वजनिक पुस्तकालय,
हैदराबाद,

2. आसाम

पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
गोहाटी,

4. बिहार

पुस्तकालय अधीक्षक,
सिन्हा पुस्तकालय परिसर,
पटना,

5. गुजरात

पुस्तकालय क्यूरेटर (गुजरात राज्य)
ओ-४, नया मानसिक चिकित्सालय भवन
अहमदाबाद-१६

6. हरियाणा

उपनिदेशक,
जन शिक्षा (कालेज),
चण्डोगढ़ ।

7. हिमाचल प्रदेश

राज्य पुस्तकालय,
सोलन,

8. जम्मू और कश्मीर

निदेशक,
पुस्तकालय-शोध एवं संग्रहालय,
जम्मू और काश्मीर सरकार,
थीनगर,

9. कर्नाटक

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अध्यक्ष,
सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग,
कर्नाटक सरकार
बंगलोर

10. केरल

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
त्रिवेन्द्रम सार्वजनिक पुस्तकालय,
त्रिवेन्द्रम-१

11. मध्य प्रदेश

मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष
जन शिक्षा निदेशालय,
भोपाल,

12. महाराष्ट्र

पुस्तकालय निदेशक,
एम० एस० टाउन हाल,
बम्बई ।

13. मणिपुर

मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
इम्फाल, मणिपुर ।

14. मेघालय

निदेशक,
जनशिक्षा,
शिलांग, मेघालय ।

15. नागालैंड

संयुक्त निदेशक,
कला एवं संस्कृति,
कोहिमा, नागालैंड ।

16. उड़ीसा

अवर सचिव,
उड़ीसा सरकार,
पर्यटन एवं संस्कृतिक विभाग,
भुनेश्वर ।

17. पंजाब

पुस्तकालयाध्यक्ष
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
पटियाला, पंजाब ।

18. राजस्थान

उप निदेशक,
समाज शिक्षा,
बीकानेर, राजस्थान ।

19. सिविकम

महायक सांस्कृतिक अधिकारी,
सांस्कृतिक सचिव कार्यालय,
गंगटोक, सिविकम ।

20. तामिलनाडु

निदेशक,
सार्वजनिक पुस्तकालय,
मद्रास-८

21. त्रिपुरा

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष.
वीर चन्द्र सार्वजनिक पुस्तकालय,
त्रिपुरा सरकार,
अगरतल्ला-७९९००९

22 उत्तर प्रदेश

पुस्तकालयाध्यक्ष
राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय,
इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

23. पश्चिम बंगाल

उप निदेशक
जन शिक्षा (समाज शिक्षा)
पश्चिम बंगाल सरकार,
राइटर्स बिल्डिंग्स,
কলকাতা-৭০০০০৯

संघोय क्षेत्र

1. अंडमन तथा निकोबार द्वीप समूह
शिक्षा निदेशक,
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन,
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान :

2. अरुणाचल प्रदेश
पुस्तकालय अध्यक्ष
केन्द्रीय पुस्तकालय,
अरुणाचल प्रदेश सरकार,
चेनगाड, पो०-ईटानगर,
नया ईटानगर,
जिला-सुवानसीरी

3. चण्डीगढ़
पुस्तकालय अध्यक्ष
टी०एस० केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय,
चण्डीगढ़ :

4. दादरा और नगर हवेली
अध्यक्ष,
शिक्षा विभाग,
दादरा और नगर हवेली, सिलवासा,
कार्यालय प्रशासक, दादरा, और नगर हवेली,
सिलवासा ।

5. दिल्ली

शिक्षा निदेशक,
दिल्ली प्रशासन,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली ।

6. गोवा दमन तथा दीव

क्यूरेटर
गोवा, दमन तथा दीव सरकार,
केन्द्रीय पुस्तकालय,
गोवा ।

7. लक्षद्वीप

समाज कल्याण अधिकारी,
पो० कावारती द्वारा कालीका
लक्षद्वीप ।


8. मिजोरम

शिक्षा उपनिदेशक,
ऐजोल,
मिजोरम

9. पाण्डिचेरी

शिक्षा निदेशक
पाण्डिचेरी-६०५००१

संगठन सारिणी



प्रतिलिपन के 1979-80 वर्ष के परीक्षित लेखा का विवरण
 (i) 1-4-79 से 31-3-80 तक की अवधि के आय एवं व्यय लेखा

आय	व्यय	रु. पै. ०	रु. पै. ०	रु. पै. ०
1—प्रारम्भिक शेष				
हाथ रोकड़	140.76			
बैंक रोकड़	3,74,882.68			
सावधि व जमा तथा	1,57,597.58			
नियतकालिक जमा	500 00			
	<hr/>			
2—राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदान				
1—आनंद प्रदेश	2,00,000.00			
2—अखण्डचल प्रदेश	10,000 00			
3—अण्डमान और निकोबार				
द्वीप समूह	10,000.00			
4—विहार	2,00,000.00			
5—हिमाचल प्रदेश	10,000.00			
6—केरल	1,35,000.00			
7—कर्नाटक	2,00,000.00			
3—कर्मचारियों के चिकित्सा एवं भत्ते	13,408.95			
4—प्रतिष्ठान, प्रशासनिक समिति, राज्य पुस्तकालय योजना समिति आदि के सदस्यों का याचा-भत्ता	5,146.77			
5—भवन का किराया	23,042.90			
6—अन्य शुल्क	27,000 00			
7—अवकाश वेतन तथा पेशन अंशदान	57,771.17			
	<hr/>			
				5,670.00

8—महाराष्ट्र
 9—उड़ीसा
 10—मिजोरम
 11—तामिलनाडु
 12—चिप्रा
 13—उत्तर प्रदेश
 14—पश्चिम बंगाल

2,00,000.00													
4,00,000.00													
20,000.00													
2,00,000.00													
23,000.00													
2,00,000.00													
1,00,000.00													
<hr/>													

8—स्टाफ कार का

रखखाव

9—अंशदायी भविष्य निधि

में प्रतिष्ठान का अंशदान

8,818.34

518.65

500.00

1,111.00

3,000.00

1,000.00

8,725.00

3,56,658.21

3) भारत सरकार से प्राप्त

अनुदान :

20,00,000.00													
3,55,000.00													
<hr/>													

योजना
गैर योजना

4) विविध प्राप्ति

1—दैक व्याज	6,261.39												
2—गोरेज भाड़ा	1,100.00												
3—पुराते अखबारों की बिक्री	54.00												
4—यात्रा भत्ता की वापसी	1,555.50												
5—बाड़ पेशगी की वापसी	538.00												
6—त्योहार-पेशगी की वापसी	280.00												

1—पुस्तकों, पठनीय एवं

दृश्यात्मक सामग्रियों का

पर्याप्त भण्डार बनाने हेतु

सहायता :

क) जिला एवं उप

मण्डलीय स्तर के

पुस्तकालयों का

सुदृढ़ीकरण

3,38,215.96

३८८

۱۷۲

5—प्रतिष्ठान के कर्मचारियों
के अंशदायी भवित्य
निधि का लेखा-जोखा :

प्रारम्भक शेष
हाथ रोकड़

बैंक रोकड़	36,634.05	38,088.25	ख) नई योजनाएँ
कर्मचारियों का अंशदान	9,232.00		4—पुस्तकों के संचयन लिए सहायता
पेशगी की वापसी	2,083.00		
अंशदायी भविष्य निधि में प्रतिशतन का अंशदान	8,818.34		5—पुस्तकालय कार्यशाला संगोष्ठियों तथा पुस्त
बैंक से प्राप्त व्याज	1,673.66	21,807.00	

आयोजन के लिए सहायता 42,390.00 31,88,909.37

ग) सुरक्षा जमा की वापसी 2,350.00 2,350.00

3—प्रतिष्ठान के प्रकाशन

3,296.68

४—पृ०

1—उपस्कर एवं ग्रसवाद 8,823.60 8,823.60

आय

व्यय

८० ८० ८० ८०

५—आर०आर०आर०एल०
एफ० कम्चारी
अंशयुक्त भविष्य निधि

निधि का लेखा जोखा

कम्चारियों को पेशगी ४,४५०.००

कम्चारियों हारा अंतिम
निकासी १,६२२.५५

१,४३४.००
—

७,५०६.५५

आर०आर०आर०एल०
एफ (कम्चारी अंशयुक्त
भविष्य निधि के लेखा
जोखा का

अंत शेष

हाथ रोकड़

1,977.32

बँक रोकड़
 (इसमें 27, 000,00
 रुपये का व्यय सम्मिलित
 है)

52,388.70

50.411 38

अंत शेष

695.48

हाथ रोकड़

10,64,035.32

बँक रोकड़

सावधि जमा, नियका-
 लिए जमा तथा बचत 1,895 11.40 12 54,242.20

कुल योग 48,74,175.31

कुल योग 48,74,175.31

(II) 31 मार्च, 1980 को समाप्त होनेवाले वर्ष के आय-व्यय का लेखा जोखा

आय

व्यय	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
प्रशासन				
1—कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते	1,96,473.23	1	भारत सरकार तथा राज्य सरकारों से प्राप्त किया गया अनुदान तथा अंशदान	42,63,000.00
2—कर्मचारियों का यात्रा भत्ता	14,056.60			
3—कर्मचारियों को चिकित्सा तथा औन्य भत्ते	5,146.77	II	विविध प्राप्तियाँ	
4—प्रतिष्ठान, प्रशासनिक समिति आदि के सदस्यों को यात्रा भत्ता	23,832.75	i	पुराने समाचार पत्रों इत्यादि को बिक्री	54.00
5—भवन का किराया	27,000.00	ii	गैरेज 'भाड़ा'	1,100.00
6—अन्य चारोंज	59,485.87	iii	ग्रन्थ	5,260.05
7—अवकाश तथा पैशान अंशदान				6,414.05
8—स्टाफ कार रखरखाव	5,670.00			
9—अंशदायी भविष्य निधि में प्रतिष्ठान का योगदान	11,221.70			8,818.34

आय		₹०	₹०	₹०	₹०	व्यय	₹०	₹०	₹०
10-कर्मचारी कल्याण के लिए अनुदान		1,000.00				III अंशदायी भविष्य निधि			1,434.00
11 -लेखा प्रीक्षा शुल्क		8,725.00		3,61,330.26		जमा की जबती			6,261.39
II पुस्तकालयों को सहायता पुस्तकों का क्रय एवं वितरण					IV बँक से प्राप्त व्याज				649.05
चल पुस्तकालय सेवा का संगठन				41,932.73		V आवकाश-वेतन की वापसी			
				<u>30,59,144.37</u>					
पिछले वर्ष की निकासी घटाये					2,09,715.94				
					<u>28,49,428.43</u>				
इस वर्ष की देयताओं को जोड़ें।						80,918.03	29,30,346.46		
आपाप्य तथा दुर्लभ पुस्तकों एवं दुर्लभ पाण्डिलिपियों की प्रक्रिया (मूली- करण तथा वर्गीकरण), जितदसाजी एवं परिरक्षण हेतु सहायता									63,375.00

रु० ५० रु० ५० रु० ५०

तयी योजनाएँ—

पुस्तक संचयन के लिए
सहायता
24,4000 00

संगोष्ठियों, कार्यशालाओं
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा
पुस्तक प्रदर्शनियों के
आयोजन हेतु सहायता

43	III प्रतिष्ठान के प्रकाशन प्रकाशन	3,296.68
IV	व्यय के ऊपर आय की बढ़ोत्तरी	8,53,010.09

कुल जमा 42,77,758.49

कुल जमा 42,77,758.49

(III) 31 मार्च, १९५० तक का तुलन पत्र

देयताएँ

	परिसम्पत्तियाँ		
	₹०	₹०	₹०
1—बकाया देयता पिछले लेखा के अनुसार 6,97,534.73 घटायें: वर्ष के दौरान निकासी 2,09,715.94 जोड़ें: वर्ष के दौरान वकाया देयता 4,87,818.79	₹०	₹०	₹०
1—उपस्कर एवं असबाब :			
पिछले लेखानुसार इस वर्ष का जोड़ 1,02,328.99 8,823.60	1,02,328.99 8,823.60		111,152.59
2—कर्मचारी वाहन 80,918.03 5,68,736.82 2—सुरक्षा जमा पिछले लेखा के अनुसार 4,985.02 घटायें: वर्ष के दौरान वापसी 2,350.00	पिछले लेखानुसार इस वर्ष का जोड़ 29,111.85 —	29,111.85 —	29,111.85
3—जमा राशि: पिछले लेखा के अनुसार 2,635.02 3—सम्पत्ति की आंक पिछले लेखा के अनुसार 1,42,139.40 जोड़ें: वर्ष के दौरान 8,823.60	पिछले लेखानुसार डाक तथा तार विभाग भवन का किराया 15,000.00 प्रतिभूति राशि 1,50,963.00	4,500.00 100.00	19,600.00

4—राजा राम मोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान
(कर्मचारी)

अंशदायी भविष्य निधि लेखा

पिछले लेखे के अनुसार 38,088.25
इस वर्ष का जोड़े 21,807.00

59,895.25

इस वर्ष की निकासी घटाये 6,072.55

53,822.70

राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान के
खाते में जमा राशि घटाये 1,434.00

52,388.70

5—आय तथा व्यय लेखा
व्यय से अधिक आय 8,53,020.09
पिछले लेखों के अनुसार 1,47,624.69
अधिक व्यय घटाये 7,05,395.40

2,350.00

4—अग्रिम राशियाँ
त्योहार

पिछले लेखे के अनुसार
इस वर्ष का जोड़े

पिछले लेखे के अनुसार	1,100.00
इस वर्ष का जोड़े	3,000.00
	<hr/> 4,100.00

इस वर्ष की वापसी घटाये 2,920.00

1,180.00

साइकल :

पिछले लेखे के अनुसार	627.00
इस वर्ष की जोड़े	1,111.00
	<hr/> 1,738.00

इस वर्ष की वापसी

968.00

बाहू

पिछले लेखे के अनुसार	6,181.00
इस वर्ष का जोड़े	—
	<hr/> 6,181.00

इस वर्ष की वापसी 3,831.00

2,350.00

परिस्थपत्तियां

मूलधन व्यय के कारण शेष राशि	₹० ५० <u>8,823.60</u>	₹० ५० <u>6,96,571.80</u>	याता भत्ता पिछले लेखे के अनुसार इस वर्ष का जोहै— घटाएँ, वर्ष के दौरान समायोजन	₹० ५० <u>2,993.00</u> — <u>2,993.00</u> <u>2,993.00</u>
पेट्रोल तथा मौविल पिछले लेखे के अनुसार इस वर्ष का जोहै— इस वर्ष का घटाये—	— 188.10 — 188.10	पेट्रोल तथा मौविल पिछले लेखे के अनुसार इस वर्ष का जोहै— इस वर्ष का घटाये—	188.10 — 188.10 —	पेट्रोल तथा मौविल पिछले लेखे के अनुसार इस वर्ष का जोहै— इस वर्ष का घटाये—
डाक-टिकट पिछले लेखे के अनुसार इस वर्ष का जोहै— घटाएँ, वर्ष के दौरान समायोजन	— 1,783.50 — <u>1,783.50</u> <u>1,783.50</u>	डाक-टिकट पिछले लेखे के अनुसार इस वर्ष का जोहै— घटाएँ, वर्ष के दौरान समायोजन	1,783.50 — <u>1,783.50</u> <u>1,783.50</u>	डाक-टिकट पिछले लेखे के अनुसार इस वर्ष का जोहै— घटाएँ, वर्ष के दौरान समायोजन

परिसंपत्तियाँ

५—अन्तिम शोष :

四〇九

हाथ रोकड़	695.48
बैंक रोकड़	10,64,035.32

सावधि जमा,
नियतकालिक जमा, तथा
वचत खाता

1,89,511.40 12,54,242.20

नकद शेष डम्प्रेस्ट
होल्डर के साथ
500.00

६ राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान (कर्मचारी)
मरविष्य निधि लेखा :
अन्तिम रोष :

हाथ रोकड़ : 1,977.32
देंक रोकड़ : 50 411.38
(₹ 7,000.00 की लागत
को मिलाकर)

कुल योग 14,71,295.38

ह० एम० के० गांगुली
लेखाकार
20-6-80

ह० एस० के० बमू
कार्यकारी अधिकारी
20-6-80

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के 1979-80 के उपर्युक्त लेखे और तुलन-पत्र की जांच की है और तथा चयनात्मकलेखा परीक्षण के आधार पर प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में जहांतक मेरी जानकारी है और मुझे स्पष्टीकरण कर दिया गया है, उसके अनुसार राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता की बाहियों के लेखे सही हंग से तैयार किये गये हैं, ताकि यह प्रतिष्ठान के कार्यों का सच्चा और सही विवरण प्रस्तुत कर सके।

ह० पौ० के० राय
लेखा परीक्षा अधिकारी
लेखा परीक्षा निदेशक,
केन्द्रीय कलकत्ता

कुल योग 14,71,295.34

ह० बौ० पौ० बरुआ
सदस्य-सचिव
20-6-80

ह० पौ०

वर्ष १९७६-८० के दौरान जिल्दसाजी अप्राप्य एवं दुर्लभ पुस्तकों व दुर्लभ पाण्डुलिपियों के परिरक्षण से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त पुस्तकालय-केन्द्रों की सूची

राशि (रु०) राज्यस्तरीय राशि

1—आन्ध्र प्रदेश

1) बापूजी वाचनालय, निजामाबाद ।	1,500
2) अबुल कलाम आजाद ओरियेण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद ।	1,500
3) आन्ध्रप्रदेश गांधी स्मारक निधि लाईब्रेरी, गांधी ज्ञान मन्दिर, हैदराबाद ।	1,000
4) जिला केन्द्रीय पुस्तकालय ओंगल-५२३००२	<u>1,500</u>
	5,500

2—बिहार

1) जिला राज्य पुस्तकालय धनबाद, बिहार	1,500
2) ज्ञान निकेतन पुस्तकालय पारसौनी चौक, बिहार	1,000
3) जिला केन्द्रीय पुस्तकालय ओरंगाबाद, बिहार	1,000
4) गणतन्त्र ज्ञान मन्दिर स्मारक चक्रामदास (वैशाली)	500

राशि रु०

राज्यस्तरीय राशि

5) ग्राम हितकारिणी पुस्तकालय श्रीचन्दपुर (पटना)	250
6) जिला केन्द्रीय पुस्तकालय नालन्दा, विहार शरीफ	1,000
7) श्री डुण्डी पुस्तकालय सोहसराय	1,000
8) समाज सदन पुस्तकालय बंगपुर, विहार	1,000
9) गोपाल नारायण पुस्तकालय भरतपुर (पटना)	2,500
10) श्री गंगा पुस्तकालय दरवारा (नालन्दा)	250
11) श्री नन्दन जिला केन्द्रीय पुस्तकालय छपरा, जिला सारन	1,000
12) ज्ञान निकेतन पुस्तकालय पारसौनी चौक, डाक-पारसौनी जिला—सीतामढ़ी	1,000
13) गणतंत्रता ज्ञान मन्दिर स्मारक डाकघर चाकरामदास, जिला वैशाली	500
	12,500

3 — मध्य प्रदेश

1) मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल	4,000
---	-------

4 — गुजरात

1) श्री भगवतसिंहजी सार्वजनिक पुस्तकालय, गोडल	500
---	-----

2) रायचन्द दीपचन्द पुस्तकालय भडोच	375
3) ए० एस० दहीलक्ष्मी पुस्तकालय नाड़ियाद	2,500

5—उडीसा

1) मदनमोहन पाठागार,
डाकघर-पेलगांव, वाया-निमामण्डी
(गंजाम) 1,250

2) अन्तर्यामी पाठागार
गांव सरतौला, डाकघर-वामारा
द्वारा गरदपुर, जिला कटक 1,000

3) बुद्धयाणी पाठागार,
नारसिंहपुर, डाकघर-हालादारा
वाया-निश्चिन्तकोयल, कटक 1,500

4) प्रगति उत्कल संघ
क्वार्टर नं० बी-१, सेक्टर-७
फकोर मोहन नगर, राउरकेला-३ 1,500

5—गोपालजी पाठागार,
डाकघर-केवझर बाजार,
जिला-केभवर, पिन-758002 1,000

6) स्वामी विवेकानन्द पाठागार
डाकघर-नलवण्टा, जिला-पुरी 500

7) सर्वमंगल युवक संघ (बालुकेश्वर
पाठागार) डाकघर-हाजीपुर,
वाया-अवावलिया, कटक 250

8) जयंती पाठागार
सहपद ब्रह्मबदा, जि० कटक 250

राशि रु०

राज्यस्तरीय राशि

9)	जयदुर्गा पाठागार, डाक-जदुपुर वाया-मरसगिया, कटक	250	7,500
----	---	-----	-------

6—राजस्थान

1)	श्री ओसवाल पुस्तकालय, लाड्नू	1500	
2)	श्री युवक संघ पुस्तकालय एवम् वाचनालय, मंडावा	500	
3)	श्री डोडवाना हिन्दी पुस्तकालय डोडवाना	2,500	
4)	श्री कुचामन पुस्तकालय कुचामन शहर, पिन-341508	1,500	
5)	श्री पब्लिक प्रताप पुस्तकालय श्री कृष्णा परिषद सूरजगढ़,	500	
6)	श्री महावीर पुस्तकालय, स्टेशन रोड, सकोर,	500	
7)	श्री नयज्योति पुस्तकालय, रामगढ़, शेखावटी।	500	7,500

7—तामिलनाडु

1)	सामूगनौद पुस्तकालय तथा वाचनालय, मारुदगूर	1,000	1,000
----	---	-------	-------

8—उत्तर प्रदेश

1)	हिन्दी पुस्तकालय, बराबकी	1,500
2)	मार्गीय पुस्तकालय अलीगढ़	5,000

3) भारती भवन पुस्तकालय इलाहाबाद	2 500
4) दुर्गा जाह नगरपालिका पुस्तकालय नैनीताल	2,500
5) सरकारी पुस्तकालय मथुरा	1,000
6) सरकारी जिला पुस्तकालय बरेली	1,000
7) सरकारी जिला पुस्तकालय गोरखपुर	1 000
8) सरकारी जिला पुस्तकालय अलमोड़ा	1 000
9) सरकारी जिला पुस्तकालय उत्तराकाशी	1,000
10) सरकारी जिला पुस्तकालय पिथोरगढ़	1,000
11) सरकारी जिला पुस्तकालय गोपेश्वर	18,500
9—हरियाणा	
1) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्टाफ रोड, अम्बाला छावनी पिन-133 007	2,500
10—केरल	
1) जिना केन्द्रीय पुस्तकालय पालघाट	1,000
कुलयोग	1,000
	€3,375

द्वितीय राज्य पुस्तकालय योजना समिति संयोजक सम्मेलन की सिफारिशें

1—पुस्तकालय अधिनियम

सभी संयोजक इस बात सहमत हैं कि प्रतिष्ठान द्वारा अपनाये गये कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र में पुस्तकालय सेवा की एक अखण्ड प्रणाली को विकसित करना अनिवार्य है। पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा पुस्तकालय सेवा के एक कर्तव्य अविद्धित ढाँचे की स्थापना की जा सकती है जिस प्रकार कि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में है। यह सम्मेलन इस बात की अनुशंसा करता है कि अन्य राज्य एवम् संघ-शासित क्षेत्र किसी भी ऐसे आदर्श पर जो उनकी परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप हो, पुस्तकालय अधिनियम को अपनायें। यदि कुछ राज्य और संघ शासित क्षेत्र निकट भविष्य में पुस्तकालय अधिनियम को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं तो वे अपने सार्वजनिक पुस्तकालयों के योजनावद्व विकास, नियन्त्रण, प्रबन्ध एवम् परिनिरीक्षण के लिए उपयुक्त प्रशासनिक नीतियां बनायें।

2—राज्य पुस्तकालय योजना समिति

यह सम्मेलन उन राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के गठन की सिफारिश करता है जिनमें अभी तक ऐसी समितियों का गठन नहीं हो पाया है, ताकि प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों का प्रभावशाली नियोजन और कार्यान्वयन हो सके।

यह सुभाव दिया जाता है कि जिन कार्यों का सम्पादन राज्य पुस्तकालय योजना समितियां करती हैं उनके अनुरूप ही उनका नया नाम राज्य पुस्तकालय समिति रखा जाये।

इन समितियों से यह आशा की जाती है कि वे प्रतिष्ठान को अधिक अंशदान मिलने में और प्रतिष्ठान से अधिक सहायता राशि प्राप्त करने में तत्परता से कार्य करेंगी।

3—अतिरिक्त आय

सम्मेलन को यह जानकर प्रमाणता हुई कि कुछ राज्य अधिक राशि अंशदान के रूप में प्रतिष्ठान को देना चाहते हैं ताकि उन्हें प्रतिष्ठान से अधिक समतुल्य राशि प्राप्त हो सके। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवा के प्रमार के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा मुहैया की गई राशि बढ़ती हुई पाठकीय आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए पूरी नहीं है। सम्मेलन देश में ग्रामीण पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देने के लिए और भी अधिक धन के आवंटन की सिफारिश करता है।

4—ग्रामीण पुस्तकालय सेवा के उद्देश्य

ग्रामीण पुस्तकालय सेवा का प्रधान उद्देश्य लोगों में पठन रुचि को विकसित करना है जो उनके सामाजिक-आर्थिक उन्नयन, समाज की प्रजातांत्रिक क्रियाशीलता, तथा एक उत्तम तथा सम्पन्न जीवन के लिए पूर्वपेक्षित हैं।

एक ग्रामीण पुस्तकालय से पाठकों को मात्र पठन सुविधायें मुहैया करने की ही आशा नहीं की जाती बल्कि यह भी आशा की जाती है कि कह विविध प्रकार के प्रसार-कार्यक्रमों का भी आयोजन करे जिससे पुस्तकालय गाँव में एक सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में कार्य करता रहे। जहां तक संभव हो अपने क्षेत्र के जन समुदाय के लाभ के लिए पुस्तकालय स्थानीय विकास कार्यक्रमों के बारे में सूचनायें एकत्रित कर उनकी जानकारी लोगों को दे।

सम्मेलन यह महसूस करता है कि ग्रामीण पुस्तकालय सेवा के साथ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को जोड़ने की अभी बहुत सम्भवानायें हैं।

५—पुस्तकों का चयन, क्रय एवम् वितरण

प्रतिष्ठान द्वारा जारी किये गये नये निर्देशों, जिनके अनुसार २५ प्रतिशत बाल साहित्य तथा नव-साक्षर साहित्य का चयन करना चाहिए तथा यह कि स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार राज्य पुस्तकालय योजना समिति एतत् सम्बन्धी अपने नये मानदण्ड बना सकती है, को संयोजकों ने नोट किया।

यह सलाह दी जाती है कि पुस्तकों का चयन पुस्तकों के देखे जाने के बाद ही किया जाय और प्रकाशकों आदि द्वारा एतदर्थ भेजी गई पुस्तकों को सुरक्षित रखा जाय ताकि क्रय के समय उत्पन्न भुगतान सम्बन्धी किसी भी विवाद को निपटाया जा सके। संयोजक कुछ प्रकाशकों की इस प्रदृष्टि की निन्दा करते हैं कि थोक खरीद योजना के अन्तर्गत जब उनकी कुछ किताबों का चयन किया जाता है तो वे इसके मूल्य में अनुचित वृद्धि कर देते हैं। सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि पुस्तकों के चयन पर विचार करते समय उनकी कीमतों के औचित्य पर भी चिचार किया जाना चाहिए। इस पहलू पर उचित रीति से विचार करने के लिए राज्य के मुद्रण और स्टेशनरी के अधीक्षक अथवा निदेशक को भी राज्य पुस्तकालय योजना समिति अथवा पुस्तक चयन उपसमिति में सम्मिलित किया जाय।

पुस्तकालयों में वितरण के लिए थोक खरीद करने का आश्वासन देकर राज्य पुस्तकालय योजना समिति ध्येत्रीय भाषा में उपयोगी साहित्य के लेखन-प्रकाशन को प्रोत्साहन दे सकती है।

इस बात को नोट किया गया कि राज्य के अधिकारियों द्वारा पुस्तकों की खरीद और वितरण तथा प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान की पद्धति सुचारू रूप से कार्य कर रही है। सम्मेलन इस बात की सिफारिश करता है कि जिन राज्यों ने इस पद्धति को नहीं अपनाया हैं वे इस अपनायें।

6—प्रतिष्ठान के कार्यक्रम

सम्मेलन इस बात पर सन्तोष व्यक्त करता है कि प्रतिष्ठान ने दो नई योजनाओं, यथा संगोष्ठियों के आयोजन हेतु तथा पुस्तकों के संचयन हेतु सहायता योजनाओं को अपनाया है। संयोजक यह सलाह देते हैं कि प्रतिष्ठान प्रथम योजना के अन्तर्गत चुनिंदा वाडमयसूची के प्रकाशन को भी सम्मिलित करें।

सम्मेलन यह भी सिफारिश करता है कि भारतीय परिस्थिति और ग्रामीण जनमानस को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठान कम मूल्य के ग्रामीण पुस्तकालय के लिए एक नमूने की योजना तैयार करे।

वर्ष १९७२-८० के दौरान राजा रामनगराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाओं में शामिल विभिन्न स्तर के

पुस्तकालयों की संख्या का विवरण

क्र. नं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	१९७२-८०/ १९७३-८१	१९७३-८०/ १९७४-८२	१९७४-८०/ १९७५-८३	१९७५-८०/ १९७६-८४	१९७६-८०/ १९७७-८५	१९७७-८०/ १९७८-८६	१९७८-८०/ १९७९-८७	१९७९-८०/ १९८०-८८
1	आनंद प्रदेश	1	28	658	—	—	4	14	—
2	आसम	1	19	61	—	—	—	1	—
3	बिहार	1	17	353	—	—	13	—	—
4	गुजरात	1	18	—	5	—	3	—	—
5	हरियाणा	1	6	43	—	—	1	1	3
6	हिमाचल प्रदेश	1	11	—	—	—	—	—	—
7	जम्मू और काश्मीर	1	19	—	—	—	—	—	—
8	कर्नाटक	1	19	734	—	—	—	—	—
9	केरल	1	11	65	60	—	3	1	2
10	मध्य प्रदेश	1	—	—	—	—	—	—	—
									31

11	महाराष्ट्र	26	405	-	-	-	-	-	-	-	433
12	मणिपुर	1	5	-	-	-	-	-	-	-	6
13	मेघालय	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
14	नागालैंड	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	उडीसा	14	1	6	-	-	-	-	-	-	74
16	पंजाब	1	37	-	-	-	-	-	-	-	7
17	राजस्थान	1	5	-	-	-	-	-	-	-	53
18	सिक्किम	-	13	555	-	-	-	-	-	-	5
19	तामिलनाडु	1	13	13	18	-	-	-	-	-	569
20	चिंगुरा	1	55	278	-	-	-	-	-	-	32
21	उत्तर प्रदेश	1	21	1896	5	5	-	-	-	-	346
22	प० बंगाल	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1928
59		1	अण्डमान तथा नीकोबार	1	-	-	-	-	-	-	1
2	अखण्डाचल प्रदेश	1	5	19	-	-	-	-	-	-	25
3	चण्डोगढ़	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	दादरा तथा नगर हवेली	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
5	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गोआ, दमत तथा दीउ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	लक्ष्मीप	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
8	मिजोरम	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
9	पांडिचेरी	1	-	42	-	-	-	-	-	-	43
	योग	27	382	5137	60	55	53	23	10	-	5747

इन योजनाओं के अन्तर्गत उल्लिखित पुस्तक सहायता योजना के अन्तर्गत भी समाविष्ट हैं।

वर्ष 1979-80 के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त अंशदान एवं दी गई

सहायता राशि का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	वर्ष के दौरान दी गई सहायता	टिप्पणी
1	2	3	4
आनन्द प्रदेश	2,00,000.00	5,05,231.26	इसमें पिछले वर्ष की वकाया सहायता राशि सम्मिलित है।
आसाम	—	54,712.44	अपेक्षित अंशदान प्राप्त नहीं हुआ।
बिहार	*2,00,000.00	1,15,283.01	इस वर्ष के अंशदान के बिल्ड 1978-79 वर्ष में आंशिक सहायता दी गई।
गुजरात	—	3,375.00	अंशदान पिछले वर्ष प्राप्त हुआ।
हरियाणा	—	1,02,397.60	पिछले वर्ष में प्राप्त अंशदान के बिल्ड सहायता दी गई।
हिमाचल प्रदेश	*10,000.00	—	प्रस्तावों के बिलम्ब से प्राप्त होने के कारण सहायता अगले वर्ष दी जायेगी।

जम्मू और कश्मीर	—	2,00,000.00		6,67,130.11 इसमें पिछले वर्ष की वकाया सहायता राशि भी शामिल है।
कर्नाटक	—	*1,35,000.00		24,434.38 प्रस्तावों के प्राप्त नहीं होने के कारण सहायता नहीं दी जा सकी।
केरल	—	2,00,000.00		4,000.00 अंशदान प्राप्त होने की आशा से सहायता दी गई।
मध्य प्रदेश	—	4,01,929.63	—	—
महाराष्ट्र	—	—	—	3,243.73 अंशदान पहले प्राप्त हो चुका था।
मणिपुर	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	27,500.00 प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए। पिछले वर्ष के हेतु सहायता दी गई।
नागालैण्ड	—	—	—	—
उड़ीसा	—	*4,00,000.00	—	8,948.20 अंशदान के प्रति की आशा में सहायता दी गई।
पंजाब	—	—	—	3,500.30 अंशदान पिछले वर्ष प्राप्त हुआ था।
राजस्थान	—	—	—	4,04,631.80
सिक्किम	—	—	—	76,920.88 अंशदान पिछले वर्ष प्राप्त हुआ है।
तामिलनाडू	—	*2,00,000.00	—	2,19,432.32 सहायता पिछले वर्ष दी गई।
त्रिपुरा	—	23,000.00	—	—
उत्तर प्रदेश	—	*2,00,000.00	—	—

4

1 2 3

प० बंगाल	*1,00,000.00	1,03,627.44	प्रयोति प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए पद्धते वष के लिए आंशिक सहायता दी गई।
आण्डमान निकोबार द्वीप समूह	10,000.00	—	प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए।
आलणाचल प्रदेश	10,000.00	5,824.20	प्रयोति प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए।
चण्डीगढ़	—	—	—
दादरा और नगर हवेली	—	—	—
दिल्ली	—	—	—
गोवा दमन और दिउ	—	—	—
लक्षदीप	—	138.75	—
मिजोरम	*20,000.00	—	समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।
पांडिचेरी	—	6,220.56	पूर्व प्राप्त अंशदान के विरुद्ध

* यह 1978-79 के अंशदान की 1979-80 में प्राप्ति का सूचक है।

** इसमें 1978-79 के दो लाख रुपयों का अंशदान और 1979-80 के दो लाख रुपयों का अंशदान सम्मिलित है।

इस वर्ष 1972-73 से 1979-80 के दौरान राजा रामसोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाओं में शामिलविभिन्न स्तर के पुस्तकालयों की संख्या का विवरण

क्र०सं०	राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के नाम	क्र०सं०	राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के नाम	क्र०सं०	राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के नाम
1	आन्ध्र प्रदेश	1	28	1098	4
2	आसाम	1	19	61	9
3	बिहार	1	17	411	2
4	गुजरात	1	18	104	—
5	हरियाणा	1	6	43	—
6	हिमाचल प्रदेश	1	11	—	5
7	जम्मू और काश्मीर	1	19	1891	8
8	कर्नाटक	1	19	1072	8
9	केरल	1	11	—	75
10	मध्य प्रदेश	1	49	—	—
					1170
					102
					458
					151
					58
					27
					1933
					4
					1190
					76

	योग	27	403	10243	93	330	55	170	135	41	116	11613
11 महाराष्ट्र	1	26	1087	-	1	-	2	2	7	-	-	-
12 मणिपुर	1	5	26	18	-	-	1	2	-	-	53	4
13 मेघालय	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
14 नागालैंड	1	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	559
15 उड़ीसा	1	14	341	8	-	-	50	22	7	-	-	12
16 पंजाब	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
17 राजस्थान	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
18 सिक्खिम	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1482
19 तामिलनाडु	1	13	1455	-	-	-	-	-	-	-	-	44
20 त्रिपुरा	1	13	18	-	-	-	10	-	2	-	-	797
21 उत्तर प्रदेश	1	56	562	8	125	-	-	25	19	1	-	2051
22 प० बंगाल	1	21	1896	-	107	5	7	8	6	-	-	24
64 1 अंडमान और निकाबाहर	1	-	20	3	-	-	-	-	-	-	-	26
2 अरुणाचल प्रदेश	1	5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3 चंडीगढ़	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4 दादरा और नगर हवेली	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	5
5 दिल्ली	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	49
6 गोआ, दमन और दिउ	1	-	-	46	-	-	-	-	2	-	-	10
7 लक्षद्वीप	-	-	-	10	-	-	-	-	1	-	-	22
8 मिजोरम	1	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	47
9 पांडिचेरी	1	-	42	-	-	-	1	2	1	-	-	2

उत्तर भूमि उपर उत्तर कालिया में सं अनेक पुस्तक सहायता योजना के अन्तर्गत भी समाचार है।